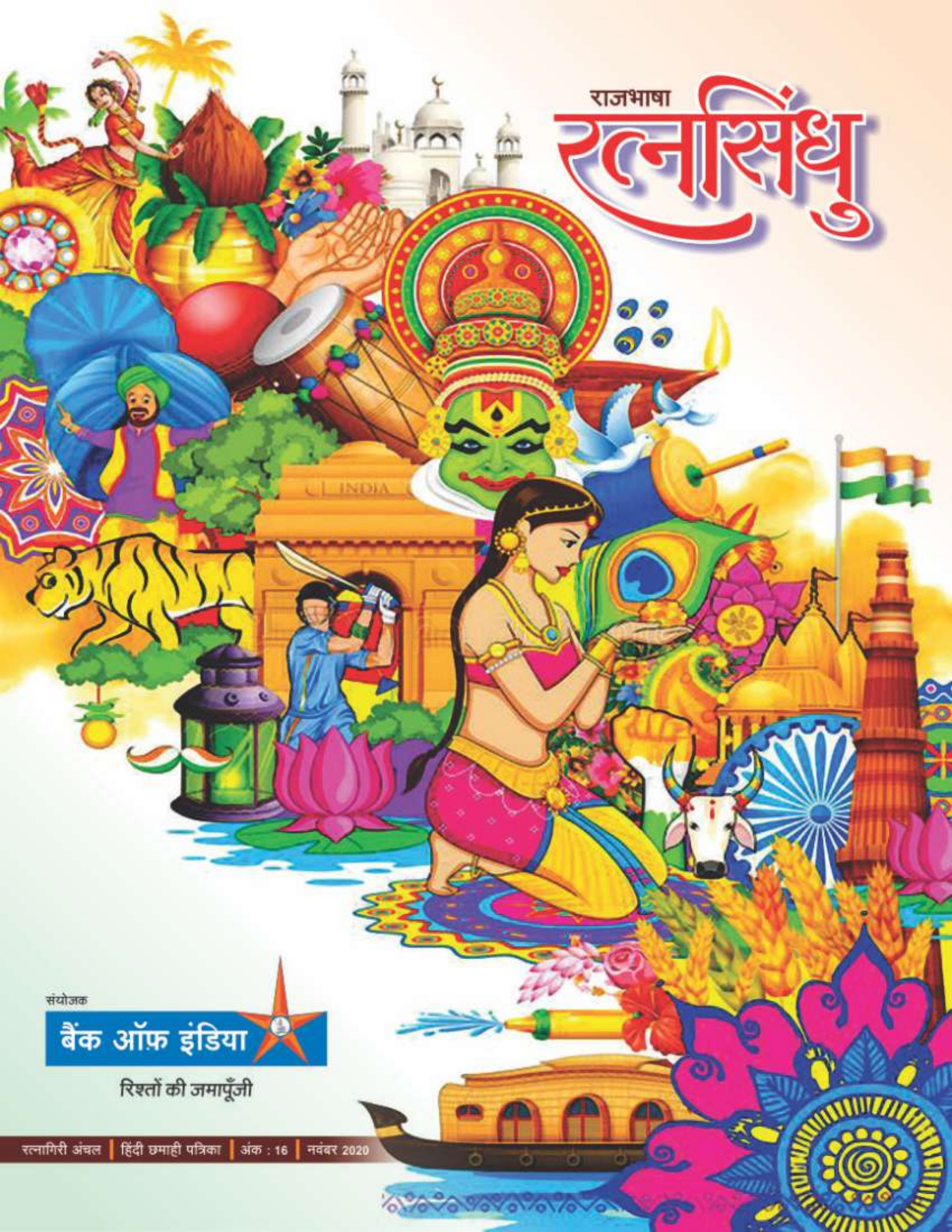

राजभाषा

रत्नसिंधु

संयोजक

बैंक ऑफ़ इंडिया

रिश्तों की जमापूँजी

रत्नागिरी अंचल | हिंदी छमाही पत्रिका | अंक : 16 | नवंबर 2020

ऑनलाइन हिन्दी संगोष्ठी

दिनांक 29.07.2020 को आयोजित रत्नागिरी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की छमाही बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिनांक 11.11.2020 को सदस्य कार्यालयों के कार्यालय प्रमुखों के लिए "राजभाषा कार्यान्वयन में कार्यालय प्रमुख की भूमिका" विषय पर ऑनलाइन हिन्दी संगोष्ठी का आयोजन किया गया । संगोष्ठी में विभिन्न सदस्य कार्यालयों के कार्यालय प्रमुखों और उनके प्रतिनिधियों ने सहभागिता की ।

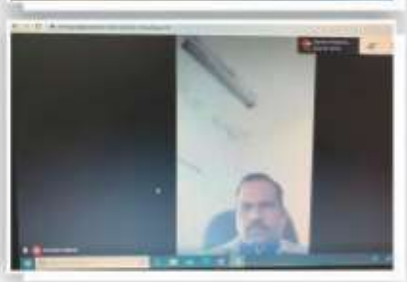

ऑनलाइन काव्यवाचन प्रतियोगिता

नराकास के तत्वावधान में दिनांक 21.09.2020 को सदस्य कार्यालयों के स्टाफ सदस्यों के लिए काव्यवाचन प्रतियोगिता का आयोजन

अध्यक्षीय संबोधन....

प्रिय साथियो,

आप सभी को सस्नेह नमस्कार तथा हार्दिक शुभकामनाएँ।

मैं, हमारी समिति के सभी सदस्य कार्यालयों, कार्यालय प्रमुखों एवं उनके समस्त स्टाफ सदस्यों को हार्दिक बधाई देता हूँ कि आप सभी के सहयोग से भारत सरकार की राजभाषा नीति का बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित कर रही हमारी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को वर्ष 2019-20 हे तु भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा 'नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति'श्रेणी में'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' के लिए चुना गया। समिति को द्वितीय पुरस्कार के लिए चुना गया। यह अत्यधिक प्रसन्नता का विषय है। इससे पूर्व भी वर्ष 2018-19 के लिए भी समिति को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यह हम सभी के लिए गौरव का विषय है। पुनः हार्दिक बधाई आपको। राजभाषा विभाग से प्राप्त प्रशंसा पत्र के अनुसार पुरस्कार वितरण समारोह 14 सितंबर 2021 को आयोजित होगा।

कोई भी पुरस्कार, उसे प्राप्त करने वाली संस्था या समिति से उस कार्य को और गति देने व उसे प्रोत्साहित किए जाने की मांग करती है। मैं आशा करता हूँ कि जिस दृढ संकल्प और लगन से हम रत्नागिरी नगर में भारत सरकार की राजभाषा नीति को कार्यान्वित कर रहे हैं, उसे भविष्य में भी बनाए रखेंगे।

समिति की छमाही हिन्दी गृह-पत्रिका 'राजभाषा रत्नसिंधु' का 16 वाँ अंक आपको सौंपते हुए अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। इसी पत्रिका के माध्यम से सभी सदस्य कार्यालयों के स्टाफ सदस्यों से मुखातिब होने का अवसर मिलता है। मुझे उम्मीद है कि आप पत्रिका के स्वरूप और उसकी विषय-वस्तु से खुश होंगे।

कोरोना संकट के चलते कुछ समय के लिए हमारी समिति की सक्रियता कुछ सुस्त जरूर हुई थी, लेकिन थमी नहीं। हमने पिछले अंक में कहा था कि 'इंसान बेहद महत्वाकांक्षी है। वह हार नहीं मानता। .... सामाजिक दूरी, सुरक्षा और सावधानियाँ हमें फिर से पटरी पर लाएँगे।' हम पटरी पर आ रहे हैं। हमारा प्रयास रहा है कि समिति के कार्य, उसकी गतिविधियां इस बार कोरोना के चलते प्रभावित न हो। हमने ऑनलाइन तरीके अपनाएं। छमाही बैठक ऑनलाइन हुई। कार्यालय प्रमुखों के लिए हिन्दी संगोष्ठी का ऑनलाइन आयोजन किया गया। ऑनलाइन संयुक्त हिन्दी कार्यशाला आयोजित की गई। गूगल मीट एप का ही सहारा लेकर समिति ने नराकास के तत्वावधान में हिन्दी पखवाडे का आयोजन किया। यहाँ तक कि गूगल फॉर्म के माध्यम से भी 'राजभाषा ज्ञान' एवं 'संविधान ज्ञान' प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई जिनमें बडे पैमाने पर स्टाफ सदस्यों ने सहभागिता की।

समिति को आगे लेकर जाने के प्रयास निरंतर जारी हैं। यह सब कुछ सभी सदस्य कार्यालयों के सहयोग से भी संभव हो पा रहा है। भारत सरकार की राजभाषा नीति को अपने अपने कार्यालय में दृढता से लागू करें। हमारी समिति निरंतर प्रगति करे। ऐसी आशा करता हूँ।

आप सभी की मंगलमय कामनाओं के साथ . . .

दिनांक : 27 नवंबर 2020

अतुल सातपुते

अतुल सातपुते
अध्यक्ष एवं उप महाप्रबंधक
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति

संपादकीय....

साथियो,

आप सभी को सविनय नमस्कार,

सर्वप्रथम मैं समिति के सभी सदस्य कार्यालयों, उनके स्टाफ सदस्यों को हार्दिक बधाई देता हूँ कि हम सभी के सक्रिय सहयोग और दृढतापूर्वक अपने कार्यालयों में हुए राजभाषा कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप हमारी समिति वर्ष 2019-20 के लिए भी नराकास श्रेणी में 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' प्राप्त करने में सफल रही । भारत सरकार से मिलने वाला यह पुरस्कार समिति की राजभाषा कार्यान्वयन से जुडी सक्रिय गतिविधियों के बगैर कदापि संभव नहीं था । समिति की कोर कमिटी ने समिति सचिवालय का भरपूर सहयोग दिया । पुनः आप सभी को हार्दिक बधाई ।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रत्नागिरी की छमाही हिन्दी पत्रिका 'राजभाषा रत्नसिंधु' के 16 वें अंक के माध्यम से आपको संबोधित करते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है। हम कोरोना महामारी के जिस दौर से गुजर रहे हैं और जिन परिस्थितियों का हर पल सामना कर रहे हैं, उनकी अभिव्यक्ति इस अंक में बहुतायत में देखने को मिलेगी । मुझे खुशी है कि सदस्य कार्यालयों के स्टाफ सदस्यों ने अपने समय के कड़वे यथार्थ पर सोचकर हिन्दी भाषा में उसे ढाला । इस अंक में विषयों का वैविध्य थोडा कम है। प्रधान विषय वस्तु कोरोना से जुडी रही है। हमारी आपकी जिंदगी और देश-अर्थव्यवस्था पर उसके प्रभाव कैसे रहे हैं। आगे कैसे नतीजे निकल सकते हैं, इस पर एक संभावना प्रस्तुत की गई है। ये संभावना एक कड़वा यथार्थ भी है। कविताएं भी इससे अप्रभावित नहीं रह सकी हैं । 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना', 'अवसाद' और अन्य विषयों से रु-ब-रु होने का मौका मिलेगा।

गृहपत्रिका का अपना महत्त्व होता है। एक तो यह कि रचनात्मक लेखन से भाषा का विकास होता है। हम सभी तकनीकी क्षेत्र के हैं, जाहिर सी बात यह है कि भाषा का यह विकास भी तकनीकी क्षेत्र में ही होना है। जितना हम तकनीकी शब्दों से करीब जाते जाएंगे, और जितना इस्तेमाल करेंगे, वे अपना सहज अर्थ प्रदान करते जाएंगे । शब्दों के अप्रचलन से शब्द अर्थ के मामले में खोखले हो जाया करते हैं। दूसरा महत्त्व यह कि इस पत्रिका के जरिए हम विविध क्षेत्रों में कार्यरत और ज़िम्मेदारी संभालते कार्यालयों के स्टाफ सदस्यों की रचनाओं के माध्यम से एक दूसरे से जुडते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं और इस प्रकार हम अपने राष्ट्र के कामकाज के कुछ रूपों को जान पाते हैं। इस प्रकार नराकास की गृह-पत्रिकाएँ भी साझा मंच होती हैं ।

समिति की सभी गतिविधियां बिना किसी बाधा के ऑनलाइन रूप में सम्पन्न हुई हैं। गूगल फॉर्म पर हमने दो हिन्दी ऑनलाइन प्रतियोगिताएं की थी, उनकी प्रश्नावली भी यहाँ दी गई है। सीधा संबंध उनका भारतीय संविधान से ही है।

हर बार की तरह इस अंक में भी दो आलेख मराठी भाषा को समर्पित हैं। पहला 'संविधान और सामाजिक न्याय' तथा दूसरा 'झाडे लावा, झाडे जगवा' अर्थात पेड़ हमारे अस्तित्व का आधार तो है ही, आर्थिक दृष्टि से भी उसके उपादेयता असीमित है। इसलिए पेड़ लगाने के साथ साथ उन्हें जीवित भी रखा जाना है। सो, इनसे भी रु-ब-रु हुआ जाए ।

पिछले अंक पर हमें कुछ प्रतिक्रियाएं मिलीं हैं । इस बार भी पत्रिका को और बेहतर बनाने के लिए आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी ।

शुभकामनाओं के साथ...

निरंजन कुमार सामरिया
सदस्य सचिव एवं वरिष्ठ प्रबंधक
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रत्नागिरी

राजभाषा
रत्नसिंधु

अनुक्रमणिका

अध्यक्ष
अतुल सातपुते
अध्यक्ष एवं उप महाप्रबंधक,
बैंक ऑफ इंडिया

संपादक
निरंजन कुमार सामरिया
सदस्य सचिव
एवं वरिष्ठ प्रबंधक राजभाषा,
बैंक ऑफ इंडिया

संपादन सहयोग
पुरुषोत्तम डोंगरे
आकाशवाणी

श्रीमती वर्षा कांबले
सीमा शुल्क

सतीश रानडे
न्यू इंडिया एश्योरन्स कंपनी

संतोष पाटोळे
कोंकण रेलवे

सौरभ कोटुरवार
बैंक ऑफ इंडिया

विकास हेलोडे
न्यू इंडिया एश्योरन्स कंपनी

मोहम्मद नदीम
भारतीय तटरक्षक अवस्थान

1 आपकी राय 1
2 अर्थव्यवस्था पर कोरोना का असर 2
3 अर्थव्यवस्था पर कोरोना का प्रभाव 5
4 आज का युग और सोशल मीडिया 7
5 आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा 8
6 आत्मविश्वास 10
7 ऑनलाइन शिक्षा 11
8 कोरोना मायूसी के बीच कुछ अच्छी बातें 12
9 डिप्रेशन (अवसाद) 13
10 "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना - फायदे और चुनौतियाँ" 15
11 भारतीय तटरक्षक पर प्रकाश एवं उनके कर्तव्य 19
12 राजभाषा हिन्दी : एक चिंतन 21
13 राष्ट्रभाषा हिन्दी 22
14 व्यस्त जीवन शैली : प्रभाव और उपाय 24
15 संविधान व सामाजिक न्याय 26
16 झाडे लावा झाडे जगवा 29
17 संविधान ज्ञान प्रश्नोत्तरी 30
18 राजभाषा ज्ञान प्रश्नोत्तरी 34
19 मानक प्रशासनिक अभिव्यक्तियाँ और वाक्यांश 38

संपर्क कार्यालय : अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बैंक ऑफ इंडिया, आंचलिक कार्यालय, रत्नागिरी महाराष्ट्र - 415 639.
ई-मेल - ratnasindhu10@gmail.com, वेबसाइट - http://narakasratnagiri.co.in.

• प्रकाशित सामग्री में व्यक्त विचार रचनाकारों के स्वयं के हैं। अतः यह आवश्यक नहीं कि इनसे सम्पादक मण्डल सहमत हो।

आपकी राय

विषय:- **राजभाषा पत्रिका 'राजभाषा रत्नसिंधु' के 15 वें अंक की प्राप्ति।**

महोदय,

आपकी राजभाषा पत्रिका **'राजभाषा रत्नसिंधु'** के 15 वें अंक की प्रति प्राप्त हुई। धन्यवाद ।

पत्रिका में समाहित सभी रचनाएँ ज्ञानवर्धक, रोचक एवं पठनीय हैं। छायाचित्रों के समावेशन ने पत्रिका को अत्यधिक अलंकृत किया है, विशेष रूप से पत्रिका का पृष्ठ कवर। पत्रिका में श्री चन्दन कुमार की "एक नोट की आत्मकथा", श्री हंसराम मीना की "गॉव एक परिवेश", श्री आकाश बाबुराव इंजल की "डाक घर की आत्मकथा" और श्री मुफीद नाखवा की "देश की नारी" रचनाएँ विशेष अच्छी लगी। उम्मीद है कि यह पत्रिका आगे भी अपने रोचक विषयों से पाठकों का ज्ञानवर्धन एवं राजभाषा के प्रचार-प्रसार में सार्थक मंच उपलब्ध कराती रहेगी।

पत्रिका के संपादक मण्डल के सभी सदस्यों एवं पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं।

भवदीय,

2.11.2020

(प्रसन्न कुमार बेहेरा)
सदस्य सचिव, नराकास, पुरी

विषय : छमाही हिन्दी पत्रिका 'राजभाषा रत्नसिंधु ' की प्राप्ति ।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रत्नागिरी द्वारा प्रकाशित छमाही हिन्दी पत्रिका 'राजभाषा रत्नसिंधु' के 15वें अंक की प्राप्ति हुई ।

'राजभाषा रत्नसिंधु' में प्रकाशित सभी रचनाएँ उत्कृष्ट कोटी की हैं और रचनाकारों की उत्कृष्ट रचनात्मक प्रतिभा का परिचय देती हैं । तथापि, 'मौसम का पूर्वानुमान', 'एक नोट की आत्मकथा', 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग', 'गॉव: एक परिवेश' विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करती हैं ।

'राजभाषा रत्नसिंधु' के निरन्तर प्रकाशन से राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए स्वाभाविक रूप से अनुकूल वातावरण निर्मित होगा और कर्मचारी हिन्दी में काम करने के लिए प्रेरित होंगे । इसके प्रकाशन से जुड़े सभी कर्मियों एवं सम्पादक मण्डल को हार्दिक शुभकामनाएँ ।

(तरुण सागर)
कार्य प्रबन्धक एवं सदस्य सचिव,
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, भुसावल
कृते महाप्रबन्धक

BANK OF INDIA
Z O RATNAGIRI
19 NOV 2020
डाक प्राप्त
MAIL RECEIVED

समृद्ध भारत ! आत्मनिर्भर भारत !

अर्थव्यवस्था पर कोरोना का असर

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना को महामारी घोषित किया है। कोरोना की वजह से भारत जैसे विकासशील राष्ट्र को ज्यादा नुकसान पहुंचा है, क्योंकि पहले ही नोटबंदी और जी.एस.टी. के कारण भारत की अर्थव्यवस्था की गति थम सी गई थी । बैंकों के बिना विकास की कल्पना करना नामुमकिन है और कोरोना काल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण की EM I भरने में भी ग्राहकों को छूट दे दी है । इससे बैंकों को आय प्राप्त नहीं हो पा रही है । यदि ऐसा ही चला तो बैंकों का भविष्य ठीक नही होगा और बैंकों की हालत ठीक नहीं रही तो उसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर होगा।

विश्व बैक और रेटिंग एजेंसियों ने शुरू में वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत के विकास का पूर्वानुमान किया जो कि भारत के 1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण के बाद के तीन दशकों में सबसे कम आंकड़ों के साथ देखा गया अनुमान था। रिपोर्ट में वर्णित है कि यह महामारी ऐसे वक्त में आई है जबकि वित्तीय क्षेत्र पर दबाव के कारण पहले से ही भारतीय अर्थव्यवस्था सुस्ती की मार झेल रही थी। कोरोना वायरस के कारण इस पर और दवाब बढ गया है। हालाँकि, मई के मध्य में आर्थिक पैकेज की घोषणा के बाद भारत के सकल घरेलू उत्पाद के अनुमानों को नकारात्मक आंकड़ों से और भी अधिक घटा दिया गया था। यह एक गहरी मंदी का संकेत था। 26 मई को क्रिसिल ने घोषणा की कि यह स्वतंत्रता के बाद से भारत की सबसे खराब मंदी होगी । इस समय पूरे देश में कोरोना वायरस का साया है। इस भयानक बीमारी के बढ़ते प्रकोप की वजह से देश को लॉकडाउन में कर दिया गया है जिसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंची है। विश्व बैंक ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को जबर्दस्त झटका दिया है। इससे देश की आर्थिक वृद्धि दर में भारी गिरावट आएगी और ऐसा ही हुआ भी है । भारत की आर्थिक वृद्धि दर में भारी गिरावट आ गई है। कोरोना महामारी के कारण कई लोगों की नौकरियाँ चली गई हैं । इसके कारण आय का संकट गहरा हुआ है। मुंबई, पुणे जैसे बड़े शहरों में काम के लिए आए हुए लोग अपने गांव वापस चले गए हैं और परिणामस्वरूप पुणे एवं मुंबई की कंपनियां बंद हो गई हैं । भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम कारोबार पर निर्भर होने और भारत में विदेशों जैसी ऑटोमैटिक तकनीक ज्यादा नहीं होने के कारण अधिकतर कंपनियों का काम मानवीय श्रम(मजदूर) से किया जाता है।

24 मार्च को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 21 दिनों की अवधि के लिए उस दिन की मध्यरात्रि से देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई । उन्होंने यह भी कहा कि लॉकडाउन जनता कर्फ्यू की तुलना में सख्त लागू किया जाएगा । कोरोना महामारी के कारण पूरे देश में लॉकडाउन होने के कारण कई सरकारी व्यवसाय और उद्योग धंधे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। घरेलू आपूर्ति और मांग प्रभावित होने के चलते आर्थिक वृद्धि दर प्रभावित हुई है। वहीं, जोखिम बढने से घरेलू निवेश में सुधार में भी देरी होने की संभावना दिख रही है। विश्व बैंक के अनुसार इस महामारी की वजह से भारत ही नहीं, बल्कि समूचा दक्षिण एशिया गरीबी उन्मूलन से मिले फायदे को गँवा सकता है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संघ ने कहा है कि कोरोना वायरस सिर्फ एक वैश्विक स्वास्थ्य संकट नहीं रहा, बल्कि ये एक बडा लेबर मार्केट और आर्थिक संकट भी बन गया है जो लोगों को बड़े पैमाने पर प्रभावित करेगा । लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर अनौपचारिक क्षेत्र पर पडा है और हमारी अर्थव्यवस्था का 50 प्रतिशत जीडीपी अनौपचारिक क्षेत्र से ही आता है । ऐसे में ये क्षेत्र लॉकडाउन के दौरान काम नहीं कर पा रहे, वो कच्चा माल नहीं खरीद पा रहे और बनाया हुआ माल बाजार में नहीं बेच पा रहे जिससे उनकी कमाई बंद सी पड गई । कोरोना वायरस दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में तेजी से फैल रहा है । इस आलेख के लिखे जाने तक भारत में 36 लाख से अधिक मामले हैं, और 65 हजार से अधिक मौतें हुई हैं। इस कारण भारत में मजदूरों की कमी के कारण रोजगार को बड़ा नुकसान हुआ है । अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सार्वजनिक वित्त को लेकर खींचतान के बीच कोरोना महामारी मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है और मुद्रास्फीति बढने का मतलब है कि सुधार जल्दी नहीं हो सकता है। कुछ का कहना है कि अर्थव्यवस्था में मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष में लगभग 10 प्रतिशत का संकुचन देखा जा सकता है। लॉकडाउन के शुरू के दिनों में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश में 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को साकार करने के लिए घरेलू उद्योग को अधिक आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया था।

लॉकडाउन के दौरान अनुमानत:14 करोड लोगों ने अपना रोजगार खो दिया है जबकि कई अन्य लोगों के लिए वेतन में कटौती की गई थी। देश भर में 45% से अधिक परिवारों ने पिछले वर्ष की तुलना में आय में गिरावट दर्ज की है। पहले 21 दिनों के पूर्ण लॉकडाउन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को हर दिन 32,000 करोड़ से अधिक की हानि होने की आशंका थी। पूर्ण लॉकडाउन के तहत भारत की 2.8 ट्रिलियन आर्थिक संरचना की एक चौथाई से भी कम गतिविधि कार्यात्मक थी । अनौपचारिक क्षेत्रों में कर्मचारी और दिहाड़ी मजदूर सबसे अधिक जोखिम वाले लोग हैं । देश भर में बड़ी संख्या में किसान जो फल–सब्जी उगाते हैं, उन्हें भी अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ा । महामारी से ठीक पहले

सरकार ने कम विकास दर और कम मांग के बावजूद 2024 तक अर्थव्यवस्था को अनुमानित 2.8 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन तक बदलने का लक्ष्य रखा था।

कोरोना के चलते सरकार ने तालेबंदी की और लोगों की मजदूरी व आजीविका बंद हो गई । इसके कारण जो ज्यादा मजदूर उत्तर भारत से आते हैं, वो अपने गाँव वापस जाने लगे और सेवा क्षेत्र को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों के उद्योग–धंधे बंद हो गए। उद्योग बंद होने के कारण भारत की अर्थव्यवस्था ठप हो गई। जो मजदूर अपने गाँव वापस चले गए हैं, वापस काम पर आने की उनकी संभावना कम ही है, क्योंकि घर जाने के लिए उन्हें बेहद कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र के जालना जिले में तो 15 मजदूर दिन भर चलते चलते थक गए तो आराम करने रेल्वे पटरी पर रात को सो गए थे, तभी एक मालगाड़ी ने उन्हें कुचल दिया और सभी 15 मज़दूरों की मौक़े पर ही मौत हो गई है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र के 'मांग एव पूर्ति' सिद्धान्त के अनुसार अभी सभी उद्योग बंद होने के कारण और लोगों के पास रोजगार नहीं होने के कारण मांग नहीं है । इससे अर्थव्यवस्था पर भीषण विपरीत प्रभाव पड़ गया है।

कोरोना महामारी का परिणाम चीन एवं दक्षिण पूर्वी देशों से भारत घूमने आने वाले पर्यटकों पर पड़ गया है। चीन से आने वाले पर्यटकों की संख्या पिछले कुछ साल से बढ़ी थी । कुल पर्यटकों की संख्या में चीन से आने वाले 3 प्रतिशत से ज्यादा है। भारत से दूसरे देशों में जाने वाली सभी हवाई सेवाएं कोरोना महामारी के कारण ठप होने से एयर इंडिया और इंडिगो जैसी कंपनियों को ज्यादा नुकसान पहुंचा है, और इसका परिणाम कर्मचारों की नौकरी पर पड़ा है, लगभग 10 प्रतिशत कर्मचारियों को कंपनी ने निकाल दिया है। कोरोना महामारी से बेशक बेरोज़गारी में बढ़ोत्तरी हुई है । भारत से निर्यात होने वाले ज्यादातर कृषि उत्पादों पर कोरोना के चलते विपरीत प्रभाव पड़ा है । तालेबंदी के काल में कृषि उत्पादों का निर्यात पूरी तरह से ठप होने के कारण निर्यात से प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा नहीं मिलने से अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक परिणाम हुआ है । वैश्विक अर्थव्यवस्था में चीन की हिस्सेदारी साल 2002 में 8 फीसद थी जो आज 19 फीसद पर पहुँच गई है । भारतीय सेल्युलर और इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के अनुसार कोरोना के प्रकोप के बाद फरवरी में देश में उत्पादन में 80 फीसदी की कमी देखी गई, जो मार्च में सुधरकर 60 फीसदी हो गई । एक महीने के नुकसान और उत्पादन के आधा रह जाने से मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के सालाना उत्पादन में 12.5 फीसद का नुकसान हुआ । इसका परिवहन, मैन्युफैक्चरिंग, बिक्री, विपणन और विज्ञापन, वितरकों, खुदरा विक्रेताओं और कोयला तथा बिजली जैसे कोर सेक्टर पर कई गुना प्रभाव पडा है । इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मुताबिक एयरलाइंस को वैश्विक यात्री राजस्व में 113 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हो सकता है । भारत ने 2018-19 में चीन से 70.4 अरब डॉलर का सामान आयात किया और उसे 16.8 अरब डॉलर का निर्यात किया । फरवरी माह की क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार व्यापार में व्यवधान से उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक्स और सौर पैनल सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे क्योंकि ये चीनी आयात पर बहुत निर्भर हैं।

भारत की अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों का 70% योगदान है और सबसे ज्यादा रोजगार इन्हीं उद्योगों के कारण प्राप्त होते हैं । भारत की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है और तालेबंदी के कारण पर्यटन व्यवसाय पूरी तरह ठप पड़ा है। जनवरी माह से मई माह तक पर्यटन काल रहता है और इस महामारी के कारण वही बर्बाद हो गया है। भारत में पर्यटन पर होटल व्यवसाय ज्यादा निर्भर करता है और हालिया रिपोर्ट के अनुसार 60% होटल व्यवसाय बंद होने की कगार पर है । कोरोना महामारी का ज्यादा असर मध्यमवगीय परिवारों पर भी हुआ है क्योंकि इन लोगों की आय छोटे मोटे उद्योगों और नौकरियों पर निर्भर करती है और ज्यादा नुकसान इनको भी पहुंचा है। अर्थव्यवस्था की स्थिति इसी से पता चलती है कि बैंकों ने बचत एवं जमाओं पर ब्याज कम किया है । विश्व बैंक ने तो यही कहा है कि 'द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद की सबसे गहरी मंदी कोरोना महामारी के कारण आई है । इससे पता चलता है कि हमारी अर्थव्यवस्था पर कोरोना महामारी का कितना बुरा असर पड़ा है। विभिन्न विकास कार्यों को पूरा करने के लिए आबंटित किया हुआ पैसा कोरोना से लड़ने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को बनाने में लगाया गया है । इसके कारण विकास की गति में निश्चित रूप से विपरीत प्रभाव पड़ा है। अभी कुछ समाचार पत्रों में आई खबरों के अनुसार बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को नौकरियों से निकाल दिया है जिनसे बेरोजगारी में निश्चित रूप से वृद्धि हो गई है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि क्षेत्र में कोरोना महामारी के कारण विपरीत प्रभाव पड़ा है । भारत कृषि उत्पादों का निर्यात करता है और भारत को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती हैं, पर कोरोना के कारण अब कृषि उत्पादों के निर्यात में कमी आई है । इसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। कोरोना महामारी के कारण हमारी ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है । भारत सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए कई उपायों की घोषणा की है जिनमें खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और राज्यों के लिए अतिरिक्त धन और कर चुकाने की समय सीमा बढ़ाना आदि शामिल हैं । 26 मार्च को गरीबों के लिए कई

तरह के आर्थिक राहत उपायों की घोषणा की गई जो कुल 1,70,000 करोड़ से अधिक के थे । अगले दिन भारतीय रिजर्व बैंक ने भी कई उपायों की घोषणा की जो देश की वित्तीय प्रणाली को 3,74,000 करोड़ उपलब्ध कराएंगे । साथ ही भारतीय रिज़र्व बैंक ने अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए मार्च के बाद से प्रमुख ब्याज दरों में 115 आधार अंकों (1.15 प्रतिशत अंक) की कमी की है। विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए भारत के समर्थन को मंजूरी दी । 12 मई को प्रधान मंत्री ने राष्ट्र के नाम एक संबोधन में 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' की घोषणा की। इसमें समग्र आर्थिक पैकेज के रूप में 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया गया। यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 10% है। हालांकि यह प्रधानमंत्री द्वारा 12 मई को घोषित किया गया था लेकिन इसमें आरबीआई की घोषणाओं सहित पिछले सरकारी राहत पैकेज को शामिल किया गया था । 15 मार्च को बेरोजगारी दर 6.7% थी जो 19 अप्रैल को बढ़कर 26% हो गई । फिर मध्य जून तक पूर्व-लॉकडाउन स्तर पर वापस आ गई । देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मई में घोषित जीडीपी के 10 प्रतिशत के बराबर एक प्रोत्साहन पैकेज में बैंक ऋण पर क्रेडिट गारंटी और गरीबों को मुफ्त अनाज शामिल है। इस पर कई अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि उस समर्थन का अधिकांश हिस्सा पहले से ही सरकार द्वारा बजट में लिया गया था और इसमें बहुत कम खर्च शामिल था।

अतः हम यही उम्मीद करते हैं कि कोरोना महामारी पर जल्द से जल्द दवाई की खोज की जाए और पूरे विश्व को इस महामारी से मुक्ति मिले । हमें आशा है कि हमारे भारत की अर्थव्यवस्था जल्दी इस मंदी से बाहर निकलेगी।

लक्ष्मण छत्रभुज बोधवाड़,
प्रबन्धक (प्रशासन)
बैंक ऑफ इंडिया, सावंतवाडी शाखा, रत्नागिरी अंचल

स्कूल के बच्चों की फ़रियाद

आता है याद हमको स्कूल का जमाना
वह साथ मिल के जाना,वह साथ मिल के आना ।
अब्बू का वह उठाना, अम्मी का वह खिलाना
उनकी दुआएँ लेके होते थे जब रवाना ।
वह दोस्तों की मुहब्बत, वह हँसना-मुस्कराना
वह साथ मिल के पढ़ना, वह साथ मिल के गाना ।
टीचर की वह मुहब्बत, मुहब्बत से वो पढ़ाना
वह खेलना-खिलाना, वह झूलना-झुलाना ।
स्कूल जब से छूटा, दिल भी है मेरा टूटा
बेकैफ ज़िंदगी है, फीका है खाना वाना ।
आज़ादियाँ कहाँ हैं बाहर भी घूमने की
उकता गए हैं घर में, घर है या क़ैद खाना ।
ये किस खता की या रब, हमको सज़ा मिली है
तू लौट जा कोरोना, तू लौट जा कोरोना ।
ऐ काश लौट आए स्कूल का जमाना
वह साथ मिल के जाना, वह साथ मिल के आना ।
फरयाद सुन ले मेरी बिगड़ी बनाने वाले
दुखी हुए दिलों से निकला है यह तराना ।
आता है याद हमको स्कूल का जमाना
वह साथ मिल के जाना, वह साथ मिल के आना ।।

अब्दुल अज़ीज़ नाकाड़े
वरिष्ठ तकनीशियन, आकाशवाणी केंद्र, रत्नागिरी

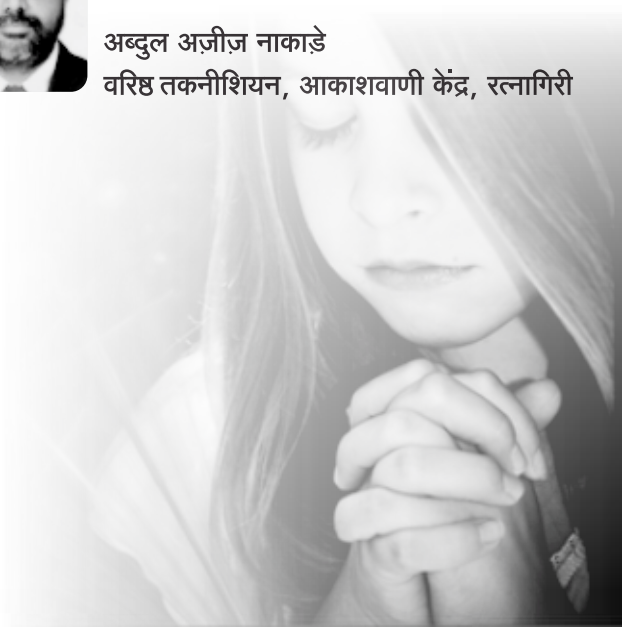

अर्थव्यवस्था पर कोरोना का प्रभाव

कोरोना वायरस का प्रकोप सबसे पहले 31 दिसंबर 2019 को वुहान, चीन में हुआ । अर्थव्यवस्था पर उसके प्रभाव के बारे में विस्तार से चर्चा करने से पहले सबसे पहले कोरोना वायरस के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। कोरोना वायरस परिवार का ही एक रूप है जो बीमारी का कारण बनता है। क्या अमीर और क्या गरीब कोई इससे अछूता नहीं है। इससे MERS-COV तथा SARS-COV जैसी गंभीर बीमारियाँ हो सकती हैं। नॉवेल कोरोना का ही एक नया प्रकार है जो की अभी तक मानव में नहीं पाया गया था। हम इस तथ्य को नजर–अंदाज नहीं कर सकते हैं कि भारत और दुनिया के अन्य देशों में कोविड–19 के प्रकोप से वैश्विक स्तर पर आर्थिक मंदी, व्यापार, आपूर्ति शृंखला में व्यवधान, वस्तुओं और लॉजिस्टिक्स सहित अर्थव्यवस्था पर महत्त्वपूर्ण विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है।

कोरोना वायरस से प्रभावित दुनिया की 15 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत भी है। चीन में उत्पादन में आई कमी का असर भारत के व्यापार पर भी पड़ा है और इससे भारत की अर्थव्यवस्था को करीब 35 करोड़ डॉलर तक नुकसान उठाना पड़ा है। ओईसीडी ने भी 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था के विकास की गति का पूर्वानुमान 1.1% घटा दिया था । ओईसीडी ने पहले अनुमान लगाया था कि भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर 6.2% रहेगी। लेकिन अब इसे कम करके 5.1% कर दिया है। भारत सरकार देश की जनता को ये भरोसा दिला रही है कि उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है । कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से देश में करोड़ों लोग घरों में है और वो लोग ऑनलाइन डिलिवरी सिस्टम का भरपूर फायदा उठा रहे हैं और घर बैठे मनचाही चीजें भी हासिल कर रहे हैं। ऐसे वक्त हजारों लोग सड़कों पर हैं और उनके सामने रोजी–रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। यह विकट संकट की घड़ी है । 130 करोड़ आबादी वाले देश में लोगों को घरों में रहने के लिए कहा गया था और कहा भी है। कारोबार पूरी तरह ठप है। बड़ी संख्या में लोग घरों से काम कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में उनकी उत्पादकता में पर्याप्त गिरावट देखने में आ रही है । कुछ विशेषज्ञों, अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं के अनुसार ये कुछ प्रभाव हो सकते हैं –

- लॉकडाउन के चलते हुए आर्थिक गतिविधियों का भारी नुकसान
- नौकरी खोने के चलते लोगों को हुआ आय का नुकसान
- कई क्षेत्रों में उत्पादन में भारी कमी का होना
- वित्तीय वर्ष 21 की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में भयानक स्तर तक कमी ।

आयात के मामले में चीन पर भारत की निर्भरता बहुत अधिक है। शीर्ष 20 उत्पादों में से जो भारत दुनिया से आयात करता है, चीन उनमें से अधिकांश में एक महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारी रखता है। भारत का कुल इलेक्ट्रोनिक आयात का 45% चीन पर निर्भर है । लगभग 75% मशीनरी, 25% कार्बनिक रसायन, 25% मोटर वाहन, 65% से 70% के लगभग सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री और 90% मोबाइल फोन चीन से भारत में आते हैं । इसलिए हम कह सकते हैं कि चीन में कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण चीन पर आयात निर्भरता का भारतीय उद्योग पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। निर्यात के मामले में चीन भारत का सबसे बड़ा तीसरा निर्यातक साझेदार है और लगभग 5% हिस्सेदारी रखता है। इसका असर जैविक रसायन, प्लास्टिक, मछली उत्पादन, कपास, अयस्क आदि क्षेत्रों में पड़ रहा है।

अर्थव्यवस्था पर इन स्थितियों का कितना गहरा असर पड़ेगा, ये दो बातों पर निर्भर करेगा । एक तो यह कि आने वाले वक्त में कोरोना वायरस की समस्या कितनी गंभीर होगी ? हम देख रहे हैं कि भारत में एक लाख के आस–पास कोरोना पॉज़िटिव प्रतिदिन आ रहे थे, यद्यपि हाल में ये आंकड़ा बहुत कम हुआ है लेकिन फिर भी कुछ राज्यों में ये स्थिति थोड़ी गंभीर होती जा रही है; और दूसरी बात यह कि कब तक इस पर काबू पाया जाता है। कोरोना वायरस ने न केवल भारत की, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की हालत खराब कर रखी है। विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस के कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। कोरोना के चलते भारत की आर्थिक वृद्धि में भारी गिरावट आएगी। विश्व बैंक के अनुसार 2019-20 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर घटकर 5% रह जाएगी, तो वही वित्त वर्ष 2020-21 में मात्र 2.8% रह जाएगी। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने कहा था कि कोरोना वायरस सिर्फ एक वैश्विक स्वास्थ्य संकट नहीं है, बल्कि ये बड़ा श्रम बाजार और आर्थिक संकट भी बन गया है जो लोगों को बड़े पैमाने पर प्रभावित करेगा।

दुनिया भर में बचत और राजस्व के रूप में जमा खरबों डॉलर स्वाहा हो चुका है। वैश्विक जी.डी.पी. में प्रतिदिन कमी दर्ज की जा रही है। लाखों लोग अपना रोजगार खो चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बताया है कि तकरीबन 90 देश उससे मदद मांग रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में ढाई करोड़ नौकरियाँ खतरे में हैं। सरकार द्वारा कोविड–19 के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेन्सिंग जैसे प्रयासों से औद्योगिक उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

लॉकडाउन के कारण बेरोजगारी बढ़ी है जिससे सार्वजनिक खर्च में कटौती देखने में आई है। लॉकडाउन के कारण कच्चे माल की उपलब्धता, उत्पादन और तैयार माल के वितरण की शृंखला प्रभावित हुई है जिसे पुनः शुरू करने में वक्त लग सकता है। खनन और उत्पादन जैसे अन्य प्राथमिक या द्वितीयक क्षेत्रों में गिरावट का प्रभाव सेवा क्षेत्र की कंपनियों पर भी पड़ा है। रेस्टोरेन्ट बंद हैं, लोग घूमने नहीं निकल रहे। नया सामान नहीं खरीद रहे लेकिन कंपनियों को किराया, वेतन और अन्य खर्चों का भुगतान करना ही है। नुकसान झेल रही ये कंपनियाँ ज्यादा समय तक भार सहन नहीं कर पाएँगी और इसका सीधा असर नौकरियों पर पड़ेगा। भारत को चाहिए कि अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए प्रतिभाशाली प्रोफेशनल अर्थशास्त्रियों की एक कमिटी का गठन किया जाए और वे भारतीय चुनौतियों के अनुसार देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए चरणबद्ध तरीके से नीतिगत समाधान सरकार के समक्ष रखें। जिन सेक्टरों पर सबसे अधिक असर पड़ा है, वे हैं –

● दवा कंपनियाँ :– मेडिकल स्टोर में दवाओं की कमी हो रही है। भारत जेनेरिक दवाओं का दुनिया भर में सबसे बड़ा सप्लायर है। चीन में उत्पादन होने से भारत ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए कुछ दवाओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है ताकि भारत को अपनी जरूरत पूरी करने में कमी न हो।

● पर्यटन उद्योग :– जब से आने जाने में पाबंदिया लगी हैं तब से अश्विनी कक्कड़ का फोन बजना बंद नहीं हुआ है। उन्हें लगातार सफर रद्द करने के लिए फोन आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने आज तक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी नहीं देखी है।

● आटोमोबाइल उद्योग :– SIAM का कहना है कि भारत के आटोमोबाइल उद्योग में करीब 3.7 करोड़ लोग काम करते हैं। भारत में ऑटो उद्योग पहले से ही आर्थिक सुस्ती का शिकार था।

● ज्यूलरी कारोबार पर प्रभाव :– कोरोना वायरस के चलते इस सेक्टर को कराब सवा अरब डॉलर का नुकसान होने की संभावना है।

भारत के साथ–साथ कोरोना वायरस का विश्व पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। विश्व अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी के चलते मंदी में चली गई है। विकासशील देशों में रहने वाले दुनिया के दो–तिहाई लोगों को अभूतपूर्व आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ रहा है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने अपने नए विश्लेषण में प्रभावित ऐसे राष्ट्रों के लिए 2.5 ट्रिलियन डॉलर बचाव पैकेज का आह्वान किया। UNCTAD के अनुसार कमोडिटी से भरपूर निर्यातक देशों को अगले दो वर्षों में विदेशों से निवेश में 2-3 ट्रिलियन डॉलर की गिरावट का सामना करना पड़ सकता है। विश्व अर्थव्यवस्था इस वर्ष मंदी के दौर में जाएगी जिससे अरबों डॉलर की वैश्विक आय का नुकसान होगा। आर्थिक गिरावट जारी है और कोई भविष्यवाणी करना मुश्किल हो रहा है लेकिन स्पष्ट संकेत है कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए चीजें बहुत खराब होंगी।

सरकार निवेश के जरिए, नियमों में राहत और आर्थिक मदद देकर अर्थव्यवस्था को गति देने का प्रयास कर रही है, पर अपेक्षित सफलता अभी नहीं मिल पा रही है। इस बीच कोरोना वायरस के कारण पैदा हुए हालात ने अर्थव्यवस्था के पहिऐ को रोक दिया है। न तो कहीं उत्पादन है, न कहीं मांग। लोग घरों में हैं और कल–कारखाओं तथा दुकानों पर ताले लगे हुए हैं। इस स्थिति में यद्यपि कुछ परिवर्तन हुआ है। प्रतिबंध हटे हैं। सावधानी के साथ औद्योगिक उत्पादन होना शुरूहुआ है। बाजार खुले हैं। मांग बढ़ने लगी है। स्थिति सामान्य होती जा रही है, लेकिन कोरोना की नहीं। ज्यादातर देश सेहत और अर्थव्यवस्था दोनों स्तरों पर नुकसान सीमित करने में लगे हैं।

प्रितेश सालुंके
बैंक ऑफ इंडिया, गुहागर शाखा, रत्नागिरी अंचल

आज का युग और सोशल मीडिया

आज का युग तकनीकी विकास का युग है। वर्तमान सदी को इंटरनेट की सदी के रूप में भी जाना जाता है। इस सदी में संचार क्रांति के क्षेत्र की कई खोजों ने मानव जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। सोशल मीडिया संचार क्रांति की एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि एवं पड़ाव माना जा सकता है। आज न केवल युवा, बल्कि पढ़े–लिखे बच्चे, बुजुर्ग भी अपने आप को सोशल मीडिया से दूर नहीं रख पा रहे हैं। सोशल मीडिया एक प्रकार का ऐसा जाल है जिससे हम चाहकर भी बच नहीं सकते हैं।

एक समय ऐसा हुआ करता था जब समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, रेडियो तथा टेलीविज़न संचार के प्रमुख साधन हुआ करते थे। लेकिन आज समय के साथ–साथ सोशल मीडिया की पहुँच जन जन तक व्याप्त हो गई है। आज इंटरनेट का उपयोग करने वाला हर शख्स किसी न किसी सोशल नेटवर्किंग साइट का उपयोग करता हुआ पाया जा सकता है। एक अनुमान के अनुसार विश्व में लगभग 200 से अधिक सोशल नेटवर्किंग साइट हैं। इनमें फेसबुक, ट्विटर, माय स्पेस, इन्स्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि साइट बहुत ही लोकप्रिय हैं। एक सर्वेक्षण के मुताबिक दुनिया भर में एक अरब 28 करोड़ से भी अधिक लोग फेसबुक का प्रयोग करते हैं। 20 करोड़ लोग ट्विटर, 15 करोड़ से ज्यादा इन्स्टाग्राम तथा 25 करोड़ से ज्यादा लोग लिंक्ड–इन से जुड़े हुए हैं। इसी तरह एक सर्वेक्षण के अनुसार व्हाट्सएप का सबसे ज्यादा प्रयोग करने वालों में हमारा देश सबसे आगे है।

आज के दौर में सोशल मीडिया हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है जिनकी अपनी अलग–अलग महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ हैं। सोशल मीडिया आम जनता को न केवल सूचनाएँ प्रदान करता है, बल्कि मनोरंजन और शिक्षा भी प्रदान करने की सामर्थ्य भी रखता है। यह दूर–दराज बैठे लोगों को प्रभावी सम्प्रेषण की सुविधा भी मुहैया कराता है। इस प्रकार सोशल मीडिया अन्य परंपरागत मीडिया मंचों से बिलकुल अलग है। इससे दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर इंटरनेट के माध्यम से एक–दूसरे से जुड़ा जा सकता है। यह संचार का अब तक का सर्वश्रेष्ठ माध्यम बनता जा रहा है । सोशल मीडिया किसी भी व्यक्ति, संगठन, देश व समाज को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक रूप से समृद्ध बनाता है। सोशल मीडिया के माध्यम से हाल के वर्षों में कई ऐसे उदाहरण देखने में आए हैं जिन्होंने लोकतंत्र को मजबूत बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। सोशल मीडिया वर्तमान भारतीय लोकतंत्र में किसी मुद्दे के खिलाफ या पक्ष में जनमत निर्माण का भी काम करता है। आजकल आप देखते होंगे कि कैमरे के स्टिंग ऑपरेशन के द्वारा भ्रष्टाचार से जुड़े मामले आम हो रहे हैं। इन्हें एकदम जीवंत रूप में, लेते–देते रूप में स्पष्ट देखा जा सकता है। वीडियो में कैद होने के बाद कोई ये नहीं कह सकता कि ये मैं नहीं हूं। इसी के चलते आज अधिकारी और कर्मचारी रिश्वत लेने से पहले सौ बार सोचते हैं कि कहीं किसी ने वीडियो बना लिया तो, और ऐसा वीडियो वायरल हो गया तो। आपने यह भी देखा होगा कि ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली केवल इसी माध्यम की वजह से हो रही है। सारी व्यावसायिक बैठकें इसी के सहारे की जा रही है। इसी तरह समाज में हर तबके के लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं।

जिस तरह सोशकल मीडिया के कुछ फायदे हैं, उसी तरह उसके कुछ नुकसान भी हैं। एक तो बहुत सारे लोग इस पर अपना समय बर्बाद करते हैं। इसमें इतना आकर्षण है कि मजबूरन युवा पीढ़ी कई कई घंटों तक ऑनलाइन रहकर अपना कीमती समय बर्बाद करती है। आज तमाम श्लील और अश्लील ऑडियो और वीडियो की सैंकड़ों वेबसाइट उपलब्ध हैं जिनके आकर्षण में युवा विशेष तौर पर किशोर पॉर्न वीडियो आदि देखने की लत के शिकार हो जाते हैं। इसके चलते उनके स्वास्थ्य को गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है। उसी तरह कुछ लोग महिलाओं एवं लड़कियों की गोपनीय जानकारी इकट्ठा करके या उनकी सही–गलत तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करके वायरल करने की धमकी देकर धोखा देते हैं या उनका उत्पीड़न करते हैं या फिर उनसे पैसे ऐंठते हैं। ऐसी तमाम घटनाएँ आए दिन सुनने अथवा पढ़ने को मिलती हैं। उसी तरह कई लोगों के एटीएम कार्ड का नंबर पूछकर उनके खाते से पैसे निकाले जाने की घटनाओं को भी देखा गया है। आखिर में मैं यह कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया यदि निष्पक्ष होकर संतुलित तरीके से सकारात्मक गतिविधियों हेतु एक टूल के रूप में उपयोग में लाया जाए तो निस्संदेह यह हमें कई अर्थों में लाभान्वित कर सकेगा । लेकिन यदि हम इसकी लत के शिकार हुए तो इसके हमारे नियंत्रण में होने की बजाय हम इसके नियंत्रण में आ गए तो यह किसी अभिशाप से भी कम न होगा।

अब्दुल अज़ीज़ नाकाड़े
वरिष्ठ तक्नीशियन, आकाशवाणी, रत्नागिरी

आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा

उम्मीदें क्यों किसी से इतनी तू करता है . . .
क्या तुझे अपने कंधों पर भरोसा नहीं रहता है।

उपर्युक्त पंक्तियों में आए हुए 'अपने कंधों पर भरोसा' का मतलब क्या है। इसका मतलब यह होता है कि हर एक व्यक्ति को अपने आप पर भरोसा होना चाहिए और वह भरोसा अपने आप में ही मौजूद होता है। इसका दूसरा मतलब है – आत्मनिर्भर होना। 'आत्मनिर्भर' का अर्थ है कि किसी व्यक्ति, गाँव या देश का अपने पर निर्भर होना। आत्मनिर्भर होना अपने लिए, अपने देश के लिए आवश्यक है। जब कोई देश अपने पर निर्भर होना शुरू कर देगा तो उसे दूसरे देश पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। भारत एक विकसनशील देश के रूप में आगे बढ़ रहा है। देश के प्रत्येक नागरिक का अपने अपने स्तर पर कार्य करना बहुत जरूरी है। हर एक व्यक्ति आत्मनिर्भर बनेगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा। जब कोई व्यक्ति स्वयं पर निर्भर होता है तो उसका मतलब होता है कि वह अपना कार्य स्वयं करता है। कोई भी व्यक्ति सामान्य कार्यों के लिए भी यदि किसी अन्य पर निर्भर है तो यह उसकी बहुत बड़ी कमी है। अपनी समस्या का समाधान व्यक्ति खुद ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है बनिस्बत दूसरे के सहयोग से उसे हल करने के। ऐसी बातें राज्य और देश पर भी लागू होती हैं। यदि देश के पास संसाधनों की कमी है तो उसे दूसरे देशों से संसाधनों की कमी को पूरा करना पड़ता है। अपने देश में भी यह स्थिति देखने को मिलती है।

हमारे देश को भी कई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। वर्तमान में कोरोना की महामारी के चलते दुनिया के सभी देश चिंतित हैं। भारत में भी यह स्थिति अपने विकट रूप में है। कोरोना महामारी ने हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए एक संदेश दिया है। इसी समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में "आत्मनिर्भर भारत का निर्माण" का वादा किया है। यह एक महत्त्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य सिर्फ कोविड–19 महामारी के दुष्प्रभावों से लड़ना नहीं है, बल्कि भविष्य के भारत का निर्माण करना भी है।

प्रधानमंत्री मोदीजी ने कोरोना संकट के इस दौर में भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है। इसे 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' का नाम दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत में लोगों को कामकाज उपलब्ध कराया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि अगले कुछ सालों में भारत अपनी जरूरत की अधिकतम चीजों के लिए खुद पर निर्भर हो जाए। इसीलिए इस अभियान का नाम 'आत्मनिर्भर भारत' रखा गया। आत्मनिर्भर भारत का सपना भारत का अपना सपना है। मतलब भारत के हर एक व्यक्ति का सपना। इस मिशन को पूरा करने के लिए हम सभी लोगों को मिलजुल कर काम करना होगा। आत्मनिर्भर भारत में स्वदेशी को बढ़ावा देना अहम बात है। भारत में स्वदेशी एक विचार के रूप में देखा जाता है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के पैकेज में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के विकास पर बल दिया गया है। ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योगों, गृह उद्योगों तथा हमारे लघु उद्योगों के लिए है जो करोड़ों लोगों की आजीविका के साधन हैं। यही हमारे आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने के आधार बनेंगे। यह संकल्प देश के उस श्रमिक तबके, उस किसान वर्ग के लिए है जो हर स्थिति, हर विपरीत मौसम में देशवासियों के लिए दिन–रात परिश्रम कर रहा है। यह पैकेज हमारे देश के उस मध्यम वर्ग के लिए भी है जो ईमानदारी से टैक्स देता है और देश के विकास में अपना योगदान देता है।

'आत्मनिर्भर भारत' के अभियान की नींव तो रखी गई है, लेकिन इतने मात्र से व्यक्ति, गाँव या देश आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। देश के कोने–कोने में इसका व्यापक प्रचार किया जाना आवश्यक है। हर व्यक्ति को इसका महत्त्व समझाना होगा और उसे उसकी जिम्मेदारियों का अहसास कराना होगा और उसके प्रति समर्पण भी अत्यावश्यक है। आत्मनिर्भर होकर ही व्यक्ति और देश तेजस्वी हो सकता है। हम लोगों में यह धारणा भी घर की हुई है कि हम जितना करते हैं, उससे ज्यादा की आशा रखते हैं। यहाँ तक कि किसी वस्तु विशेष की प्राप्ति के लिए एक तरह की व्यग्रता सी बनी रहती है। हम अपनी आशाओं की पूर्ति आपसी निर्भरता से कर सकते हैं। हम जो भी आशा करते हैं उनकी प्राप्ति के लिए परिश्रम करना सबसे पहली और अनिवार्य चीज है। जब हम किसी वस्तु के लिए खून–पसीना बहाते हैं तो उसका उपभोग करने पर अपूर्व शांति भी मिलती है। इन सब से एक बात साफ पता चलती है कि हम कुछ करें तो उसकी कीमत का पता चलता है। इस प्रकिया से ही हम आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा कर सकते हैं। 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान में देश के किसान, व्यापारी, मजदूर सहित देश की अर्थव्यवस्था को अपने विविध क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाना बहुत जरूरी है। ऐसा कर ही हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी इयत्ता से दुनिया को परिचय करवा सकते हैं।

आत्मनिर्भर भारत के लिए सभी स्तरों पर योजनाओं का आरंभ किया गया है। इन योजनाओं का प्रसार और लाभ हर क्षेत्र को मिलना चाहिए। जब देश के लोगों को इसका लाभ मिलेगा तभी देश आत्मनिर्भर हो सकेगा। आज देश के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े बदलाव की आवश्यकता है।

इनका सही निदान कर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए पहली सीढ़ी है – सही शिक्षा की व्यवस्था हो, अच्छी पुस्तकें हों, तकनीक की उपलब्धता हो ताकि अच्छी और सार्थक, कुशलतापूर्ण और गुणवत्तायुक्त खोज की जा सके। ऐसे कार्य करके ही हम युवा पीढ़ी का सही नेतृत्व कर पाएंगे। इसी तरह किसान भाइयों को खेती के लिए उचित जानकारी समय पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए। खेती–बाड़ी हेतु तकनीक की सुगम उपलब्धता भी अत्यावश्यक है। जब ये सब कुछ होगा और उन्हें सही और उचित मार्गदर्शन मिलेगा तथा उनके लिए सही योजनाएँ अमल में लाई जाएंगी तो वे स्वयं आत्मनिर्भर होंगे और देश भी कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकेगा। इसका फायदा यह होगा कि देश का किसान अपना व्यापार खुद कर सकेगा और ऐसे ही समृद्ध भारत का निर्माण हो सकेगा। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें अन्य क्षेत्रों जैसेकि व्यापार, चिकित्सा, खेल–कूद तथा सेवा क्षेत्र में भी नई योजनाओं को लाना पड़ेगा। शहरी और ग्रामीण स्तर पर बहुत कुछ परिवर्तन लाने की अत्यधिक आवश्यकता होगी। रोजगार सृजन को प्राथमिकता देनी होगी। युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना होगा। इस हेतु सरकार केंद्र, राज्य, जिला व ग्राम स्तर पर विभिन्न प्रकार के उपाय और प्रावधान कर रही है। हमें सही चीजों को अपनाकर उचित दिशा में आगे बढ़ना है।

देश की हालिया स्थिति, जिसमें दूसरे देशों के साथ विवाद और देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति भी शामिल है, को देखते हुए अपने देश को आत्मनिर्भर बनना ही होगा और अन्य देशों पर कम से कम निर्भर रहना होगा। अगर हम अन्य देशों पर ही निर्भर बने रहेंगे तो देश तीव्र गति से विकास नहीं कर पाएगा। हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे देश में न तो संसाधनों की कोई कमी है और न ही किसी प्रकार की कार्यकुशलता की ही। कमी है तो बस दूरदर्शिता और सक्रियता । सुस्त सोच और कुछ नया करने के प्रति उदासीनता ये हमारे देश की आत्मनिर्भरता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा हैं। देश के युवाओं को अपनी सम्पूर्ण ऊर्जा और ज्ञान का इस्तेमाल देश को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहिए। जब इस अभियान में देश का हर एक नागरिक अपना योगदान देगा तभी देश एक महासत्ता के रूप में उभर कर दुनिया के सामने आ पाएगा। भारतीयों में ऐसा करने का जज्बा है और वे ऐसा कर भी दिखाएंगे।

इसलिए मेरा कहना है कि –

देश हित में यह कदम उठाना है,
भारत को 'आत्मनिर्भर' देश बनाना है
तब बनेगी भारत की
एक अलग पहचान
सम्पूर्ण विश्व भी करेगा सम्मान।
जय हिन्द, जय भारत

स्वप्निल सुधाकर झगड़े
कनिष्ठ अभियंता, चिपलून रेलवे स्टेशन, कोंकण रेलवे

मोबाइल

जाने इस मोबाइल ने हम पर क्या जादू किया
पता ही नही चलता, सयाना किया या पागल किया
एक जीबी डाटा हमें क्या मिल गया, साथ में हमारी नींद ले गया
हर वक्त हर कोई रहता है खोया – खोया

आज कल ना शिक्षा हमें याद आती है, ना बेरोजगारी हमें सताती है
बिना पेट भरे हमें उसकी याद आती है
जब वह मोबाइल पर गुडनाइट – गुडमॉर्निंग लिख कर भेजती है
सुबह से शाम यारो यूं ही गुजर जाती है

जन्मदिन हो या त्योहर, अब मोबाइल पर मनाया जाता है
मोबाइल पर ही हर दिन की विशेषता मालूम होती है
मगर हमें हमारी जिम्मेदारी नही मालूम होती है
भरी सभा में, स्कूल में जोर जोर से घंटी बजती है ।

लोगों ने लाखों –करोड़ों कमाए बिना मोबाइल के
हम घर से बाहर नही निकल पाते बिना मोबाइल के
हर किसी को आप का कॉन्टॅक्ट नंबर चाहिए
आपकी जेब में पैसे हो या न हो, पर मोबाइल जरूर होना चाहिए ।

वाय. डी. पवार
कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लि., रत्नागिरी

आत्मविश्वास

एक मनुष्य में हर तरह की काबिलियत होती है। लेकिन यह भी हो सकता है कि उसमें इन सबके बावजूद आत्मविश्वास की कमी भी हो। हर इंसान की जिंदगी में कई प्रकार की परिस्थितियाँ आती हैं। ऐसे समय वह परेशान हो जाता है। किसी परेशान कर देने वाली परिस्थिति विशेष से वह बाहर तो आना चाहता है, प्रयास भी करता है कि मैं यह करूँ– मैं वह करूँ। कई विचार उसके मन में आते हैं। मगर आत्मविश्वास की कमी की वजह से वह कोई सही निर्णय नहीं ले पाता है और हार कर बैठ जाता है।

अगर देखा जाए तो जीवन में कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है। हमारी सफलता के पीछे हमारा आत्मविश्वास एक महत्त्वपूर्ण कारक होता है। इतना ही नहीं, अगर हम में आत्मविश्वास है तो सफलता हमारे कदम चूमेगी । हमारे अनुभवी और बड़े–बूढ़ों ने भी कहा है कि आदमी किसी इच्छित वस्तु अर्थात अपनी मंजिल को पाना चाहता है तो उसे खुद पर विश्वास होना चाहिए इस बात का कि हम इस काम को कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम खुद से प्यार करें । खुद को किसी काम के काबिल समझें और अपने आप को किसी से कम न समझें क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अलग अलग गुण छिपे होते हैं। कुछ लोगों में तो अनगिनत गुण होते हैं, परंतु आत्मविश्वास की कमी के कारण वह अपनी विशेषताओं को दूसरों के सामने जाहिर नहीं करता । इसलिए हमें अपने अंदर के भय को बाहर निकालना होगा और अपने अंदर यह विश्वास जगाना होगा कि हम फलां काम कर सकते हैं। हमारे मन में इस बात का डर बना रहता है कि लोग क्या कहेंगे । आस–पास के लोगों का विचार कर कई बार हम कोई काम करने या कोई बात कहने से रह जाते हैं और अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं । उस समय हमें यह विचार करना होगा कि इस दुनिया में ऐसे कितने लोग होंगे जिन्होंने अपने हुनर से, अपने विश्वास से कितने ही बड़े बड़े काम किए होंगे । न जाने कितने ही लोग होंगे जो कुछ सोचकर, कुछ कर नाम कमा चुके हैं। ऐसे लोगों को याद कर, उनसे प्रेरणा लेकर हमें अपने आपको मजबूत बनाना चाहिए और अपने अंदर छुपे गुणों को धीरे धीरे दुनिया के सामने लाना होगा । इस तरह हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। कोई भी काम करने से पहले अपनी क्षमता और सामर्थ्य का आकलन अवश्य करें, उसी के अनुसार वह काम करें तो निश्चित ही सफलता प्राप्त होती है ।

अपने मन में यह न सोचें कि हम इस काम के योग्य हैं या नहीं । हाँ, यह भी सच है कि हर व्यक्ति में कुछ कमी होती है, इसी तरह कुछ विशेष बात भी होती है। छोटे छोटे कार्य करके अपने भीतर आत्मविश्वास पैदा किया जा सकता है। हर व्यक्ति के जीवन का अपना उद्देश्य होना चाहिए । इसी प्रक्रिया में आदमी अपने भीतर आत्मविश्वास पैदा कर पाएगा ।

मुफीद नाखवा
नाविक, सीमा शुल्क कार्यालय, रत्नागिरी

पिता

पिता एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है
जिनके पास बैलेंस न होते हुए भी
हमारे ख्वाब पूरे करने की कोशिश होती है ।
विश्वास करें, पिता दुनिया का इकलौता ऐसा इंसान है
जो खुद से भी ज्यादा
आपको कामयाब देखना चाहता है ।
कभी समय मिले तो अपने पिता की तरफ देखना
पता चलेगा कि
आपका भविष्य बनाते बनाते
वह कितना टूट चुका है ।
पिता की कमाई पर घमंड करने का क्या मजा
मजा तो तब है
जब कमाई अपनी हो और पिता गर्व करे ।
पिता का व्यक्तित्व सूरज की तरह होता है
सूरज गरम जरूर होता है मगर
सूरज ना हो तो अंधेरा छा जाता है ।
अपने पिता से बातचीत करते रहो
यूं वह बूढ़ा, जवान रहता है।
पिता का हाथ पकड़ना सीखो
जीवन भर किसी के पैर पकड़ने की नौबत नहीं आएगी ।

मुफीद नाखवा
नाविक, सीमा शुल्क मण्डल, रत्नागिरी

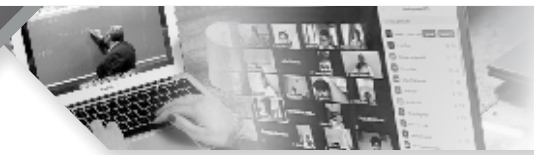

ऑनलाइन शिक्षा

हम आज भी अपने बच्चों को स्कूल के क्लासरूम में बैठा कर ही शिक्षा ग्रहण कराने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। लेकिन विगत कुछ वर्षों से हमारे देश में ऑनलाइन शिक्षा भी काफी लोकप्रिय हुई है।

कोरोना के बढ़ते खतरे के कारण पूरे देश में हुए लॉकडाउन की वजह से जब सभी शिक्षण संस्थाएं बंद हो गई, तब बच्चों को अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए ऑनलाइन शिक्षा का मजबूत सहारा मिला । लगभग सभी स्कूलों के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है ताकि बच्चों की शिक्षा का नुकसान न हो । और आज देश के अधिकतर विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षा से जुड़कर खुश भी हैं। ऑनलाइन शिक्षा, शिक्षा का एक ऐसा माध्यम है जिसमें शिक्षक और बच्चे स्कूल के एक क्लासरूम में बैठकर ब्लैकबोर्ड के माध्यम से पढ़ने–पढ़ाने के बजाय इंटरनेट के माध्यम से जुड़कर अपने घर बैठे –बैठे पढ़ाई करते हैं। ऑनलाइन शिक्षा लेने के लिए बच्चे के पास कंप्यूटर या लैपटाप या स्मार्ट–फोन के साथ इंटरनेट कनैक्शन होना आवश्यक है।

इस माध्यम से शिक्षक अपने घर बैठकर या दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अपने विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान कर सकता है। शिक्षक अपने कंप्यूटर या लैपटाप में स्काइप, जूम, गूगल मीट आदि ऐसे अनेक एप के जरिए अपने विद्यार्थियों से जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा घर बैठे–बैठे इंटरनेट के माध्यम से मिलने वाली शिक्षा है। अतः इस माध्यम से शिक्षा न सिर्फ अपने देश से, बल्कि विदेशों की शिक्षण संस्थाओं से हासिल की जा सकती है। ऑनलाइन शिक्षा में सीमाओं का कोई बंधन नहीं है।

ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे हासिल की गई शिक्षा से विद्यार्थियों के शिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्था या स्कूल आने–जाने में लगने वाले समय की भी बचत होती है। छात्र अपने समय एवं सुविधा के हिसाब से ऑनलाइन कक्षाएँ ले सकते हैं और शिक्षक द्वारा दी जाने वाली ऑनलाइन कक्षाओं की रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है। ऐसे में अगर विद्यार्थी को ऑनलाइन कक्षा के वक्त किसी विषय से संबंधित कुछ टॉपिक समझ में न आए तो दोबारा वह रिकॉर्डिंग सुनकर अपनी शंकाओं को दूर कर सकता है।

अब तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा उपलब्ध है। कोई भी घर बैठे–बैठे अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आराम से कर सकता है। कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा का महत्त्व काफी बढ़ा है। काफी बड़ी संख्या में लोग ऑनलाइन माध्यमों से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन देश में कई बच्चे ऐसे भी हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। इस आर्थिक स्थिति वाले बच्चों के पास कंप्यूटर, लैपटाप नहीं होता है। न ही उनके पास इंटरनेट की सुविधा ही होती है। परिणामस्वरूप कमजोर आर्थिक स्थिति वाले लोग ऑनलाइन शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। आर्थिक रूप से सक्षम लोगों के लिए ही ऑनलाइन शिक्षा बनी है। ऑनलाइन शिक्षा की यह बड़ी भारी कमी है।

कई बार लैपटाप या कंप्यूटर और इंटरनेट कनैक्शन होने के बावजूद इंटरनेट नेटवर्क में समस्या आ जाती है जिससे अध्यापक और विद्यार्थी ऑनलाइन जुड़ नहीं पाते। परिणामस्वरूप पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। भारत के कई गांवों और शहरों में अभी इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में बच्चे चाह कर भी ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। कुछ विषयों में 'प्रैक्टिकल वर्क' अनिवार्य होता है जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान आदि। लेकिन ऑनलाइन शिक्षा में विद्यार्थी 'प्रैक्टिकल वर्क' के माध्यम से सीखने से वंचित रह जाते हैं। विद्यालय में पढ़ाई के अलावा और भी कई तरह के अभ्यास कराए जाते हैं जिनमें विद्यार्थी अनिवार्य रूप से भाग लेते हैं जैसे खेलकूद, गीत गायन, नृत्य, योगा, सांस्कृतिक गतिविधियां, वाद–विवाद प्रतियोगिता आदि। विद्यार्थी या बच्चे सम्पूर्ण विकास के लिए आवश्यक इन गतिविधियों से ऑनलाइन शिक्षा के कारण वंचित रह जाते हैं।

यह तो कोई नहीं जानता कि यह कोरोना कब खत्म होगा, और कब दोबारा विद्यालय, कॉलेज आदि शिक्षण संस्थाएं अथवा कोचिंग संस्थान खुलेंगे और कब दोबारा जाकर प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर कक्षाएँ ली जा सकेंगी। फिर भी ये तो कहा ही जा सकता है कि इस मुश्किल वक्त में ऑनलाइन शिक्षा ने बच्चों के लिए शिक्षा के द्वार खुले रखे हैं। अब ऑनलाइन शिक्षा लोगों के द्वारा खूब पसंद की जा रही है। अधिकतर लोग चाहे वे स्कूली बच्चे हों या प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले, ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर काफी खुश हैं।

वसंत नरहरि सावंत
सीमा शुल्क कार्यालय, रत्नागिरी

कोरोना मायूसी के बीच कुछ अच्छी बातें

कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन की वजह से हमारी व्यस्त जिंदगी कुछ ठहर जरूर गई है लेकिन बहुत सी अच्छी बातें भी हो रही हैं। सिक्के के हमेशा दो पहलू हुआ करते हैं। कोरोना जैसे महामारी में भी जाने–अनजाने कुछ ऐसी अच्छी बातें हो रही हैं जो सामान्य दिनों में संभव नहीं हो पाती है। पर्यावरण को समय देने, उसे शुद्ध रखने जैसी कुछ बातें इस आफत की घड़ी में भी हमारे चेहरे पर मुस्कान ला रही है। गृहणियों के लिए लॉकडाउन किसी वरदान से कम नहीं है। न तो पति ऑफिस जा रहा है और न बच्चे स्कूल जा रहे हैं, न पति के टिफिन की चिंता और न बच्चों को स्कूल छोड़ने की । पति घर में हैं तो वे अब किचन के काम में मदद कर रहे हैं और बच्चे संभालने में भी। महिलाओं को जीवन में ऐसा चैन कहाँ नसीब होगा।

लॉकडाउन में अपनी अपनी हॉबी पूरी करने के लिए मौका मिल गया है। किताबों के शौकीन पढ़ने में जुटे हैं, पेंटिंग के शौकीन पेंटिंग में । बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई या अपने कोर्स करने में लगे हैं। कोरोना के चलते कई अच्छी आदतें लोगों को लगी हैं। हमें स्वच्छता के महत्त्व का पता चला है। संभव है कि अच्छे से हाथ धोने की हमारी अब आदत ही बन जाए। यह स्वास्थ्य के लिए अत्यावश्यक है।

इसके अतिरिक्त प्रदूषण में बहुत कमी दर्ज़ हुई है। चिड़ियों की चहचहाहट फिर सुनाई देने लगी है। यही नहीं, घर के सामने की सड़क से गुजरते वाहनों की तेज आवाज, जो पहले हमेशा आती थी, अब थम सी गई है। आसमान भी अब एकदम नीला नजर आने लगा है। घर की खिड़की खोलते ही ताजी हवा महसूस होती है। लोगों को दूर तक की चीजें भी साफ नजर आने लगी। पहले धुएँ या प्रदूषण के चलते ये नजर नहीं आती थी। लॉकडाउन की वजह से वायु–प्रदूषण कम हो गया है। लॉकडाउन में लोगों का घर से बाहर जाना बंद हुआ है, जिसके चलते कचरा उत्पादन में प्रतिदिन कमी हुई है। बायो–मेडिकल कचरा भी पर्याप्त मात्रा में बंद हुआ है। हमें अन्य तरीकों से आगे भी प्रदूषण को कम करना होगा। लॉकडाउन तो हट ही जाएगा और हट भी रहा है। लेकिन प्रदूषण की पहले वाली स्थिति न बन पाए, इस हेतु हमें काफी प्रयास करने की आवश्यकता है। अगर हम प्रदूषण को रोक नहीं पाते हैं तो आगे आने वाली पीढ़ियाँ हमें कभी माफ नहीं करेंगी।

यह हक़ीक़त है कि पहले मानव ने पर्यावरण को प्लास्टिक में लपेट लिया था और अब वही पर्यावरण मानव को प्लास्टिक में लपेट रहा है। कहावत है – "जैसा कर्म, वैसा फल" । बुरे दिनों के बाद अच्छे दिनों का आना प्रकृति का नियम है। परंतु ये सब तब नसीब होगा, जब हम सब मिलकर हमारे कर्तव्यों का पालन करेंगे ।

उत्तम गावड़े
प्रधान हवलदार, सीमा शुल्क कार्यालय, रत्नागिरी

चलो आज कोरोना को खत्म करते हैं

बहुत डूबे रहे खुद को खोजने में
आज एक–दूसरे में खुद को खोजने की कोशिश करते हैं
बहुत जी लिया खुद के लिए
आज सारे संसार के लिए जीने की चाह रखते हैं
चलो आज कोरोना को खत्म करते हैं ।
खुद के लिए बहुत दुआएँ मांगी
आज सारे अपनों के लिए दुआएं मांगते हैं
अपने लिए बहुत इबादत हो गई
आज सारे संसार के लिए इबादत मांगते हैं
चलो आज कोरोना को खत्म करते हैं ।
खुद के लिए बहुत साँसे भरते हैं
आज पूरे जमाने के लिए कुछ अच्छा करने की सांस भरते हैं
मुकाबला करने की पूरी ताकत खुद में रखते हैं
इस महामारी का नामो–निशान इस संसार से मिटाने का प्रण रखते हैं
चलो आज कोरोना को खत्म करते हैं ।
बहुत हो गई एक दूसरे की मनमानी
आज जरा स्वास्थ्य कर्मचारियों की मनमानी से चलते हैं
बहुत चल लिए एक–दूसरे के रास्ते पे
आज सब के लिए एक रास्ता खोजने की मनमानी करते हैं
चलो आज कोरोना को खत्म करते हैं ।
बहुत हो गया खुद के लिए खोजना
आज पूरे जमाने के लिए कुछ अलग खोज करने की चाह रखते हैं
बहुत हो गया एक–दूसरे की गलियों से गुजरना
आज जरा घर में ही ठहरते हैं
चलो आज आप सभी के साथ कोरोना खत्म करते हैं ।

नितिन रसाल
सीमा शुल्क कार्यालय, रत्नागिरी

डिप्रेशन (अवसाद)

अवसाद, जिसे डिप्रेशन भी कहा जाता है। डिप्रेशन आज एक वैश्विक समस्या का रूप ले चुका है। अवसादग्रस्त रोगियों की संख्या दिन–ब–दिन बढ़ती ही रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से किए गए एक सर्वे के अनुसार, देश की कुल आबादी में से लगभग 7 % लोग मानसिक बीमारियों से ग्रस्त हैं। प्राथमिक चरण में इस पर ध्यान न दिए जाने या उपचार न कराने पर ये बीमारियां गंभीर अवसाद का रूप ले लेती हैं जिससे ग्रस्त लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। यदि अचानक ऐसा महसूस होने लगा है, जैसे कि आपके लिए दुनिया ही खत्म होती जा रही है तो ऐसा सोचने वाले आप अकेले नहीं हैं – डिप्रेशन एक बहुत गंभीर और आम बीमारी है जिससे दुनिया की लगभग 10% आबादी प्रभावित है। यदि इसे बिना इलाज के छोड़ दिया जाए, तो यह आपके जीवन के हर पहलू पर भारी दुष्प्रभाव डाल सकती है लेकिन ऐसा न होने दें। अपने डिप्रेशन से लड़ें।

इस संबंध में किए गए अनेक सर्वेक्षणों में पाया गया है कि युवाओं में अवसाद बढ़ने का प्रमुख कारण आधुनिक जीवनशैली, भौतिक वस्तुओं को हासिल करने की इच्छाएं, अभिभावकों के पास बच्चों के लिए समय न होना, असफल प्रेम संबंध, अकेलेपन का अहसास, परिवार के अन्य युवाओं या साथियों की तरह अच्छी नौकरी हासिल न कर पाने का तनाव आदि हैं। उक्त स्थितियाँ युवाओं में अवसाद को जन्म देती हैं। कंप्यूटर, मोबाइल और सोशल नेटवर्किंग आजकल आधुनिक जीवनशैली का हिस्सा हैं और उनके अत्यधिक प्रयोग के चलते पैदा हुई अपनी समस्याओं को वे अपने परिवार या शुभचिंतकों के साथ साझा नहीं करते। वही युवाओं में बढ़ती जा रही नशा करने की प्रवृति भी उन्हें अवसाद की ओर ले जाती है। नशे के साथ बढ़ता अवसाद उन्हें आत्महत्या करने के लिए उकसाता है।

प्रत्येक अवसाद रोगी के साथ सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि वह खुद को रोगी मानता ही नहीं है। वहीं अन्य रोगों के चिकित्सकों के मुकाबले मनोचिकित्सक के पास जाने से भी लोग हिचकते हैं। भारतीय समाज में व्याप्त दुष्प्रचार के अनुसार आज भी मनोचिकित्सक को 'पागलों का डॉक्टर' और उसके मरीजों को 'पागल' माना जाता है जो बिल्कुल गलत है। अगर आप अवसाद के शिकार हो गए हैं तो तुरंत मनोचिकित्सक से परामर्श लेकर उचित उपचार शुरू कराएं। प्रेरणादायक किताबें पढ़ना, आशावादी फिल्में देखना और अपनी पसंदीदा जगहों पर घूमने जाने से भी अवसाद को दूर रखने में मदद मिलती है। अवसाद से ग्रस्त रोगी के उपचार में दवाओं से अधिक परिवार और दोस्तों से मिला प्यार और सहयोग काम में आता है।

महिलाओं में डिप्रेशन के कई कारण हो सकते हैं– हमारे देश में अधिकतर महिलाएं यह स्वीकार करने में हिचकती हैं कि वे किसी प्रकार के डिप्रेशन का सामना कर रही हैं। सचाई यह है कि हर चार में से एक महिला को जीवन में कभी कभी गंभीर डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। महिलाओं में डिप्रेशन के बढ़ते खतरे को हॉर्मोन के स्तर में बदलाव से जोड़ा जाता है। हालांकि, इसके कई कारण हो सकते हैं जो जीवन में अलग–अलग घटनाओं से संबंधित होते हैं, यथा:

गर्भावस्था के दौरान : यह शहरी महिलाओं में डिप्रेशन का बड़ा कारण है। चिकित्सकीय रूप से माना जाता है कि गर्भावस्था का समय महिलाओं के लिए सामान्य रूप से उदास और बेहोश होने के उच्च जोखिम का समय होता है। अगर पर्याप्त देखभाल और ध्यान नहीं दिया जाए, तो गर्भावस्था संबंधी अवसाद लंबे समय तक जारी रह सकता है और गर्भ में बच्चे के विकास को नुकसान पहुंचा सकता है। आमतौर पर मोटापे और अन्य समस्याओं की शिकार महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान इसके होने की आशंका ज्यादा होती है।

डिलीवरी के बाद : नवजात शिशु को जन्म देने के बाद शुरुआती हफ्तों में माता भावनाओं के एक रोलर कोस्टर से गुजरती है। इसे बेबी ब्लूज कहते हैं जो डिलीवरी के कुछ दिनों बाद तक होती है। इस दौरान ज्यादातर महिलाएं चिंता, आत्म–संदेह, थकान आदि की प्रक्रियाओं से दो–चार होती हैं और उन्हें महसूस भी करती हैं। यदि ऐसी भावनाएं लंबे समय तक जारी रहती हैं तो गंभीर डिप्रेशन की समस्या हो जाती है।

वैवाहिक अवसाद: भारत में शादी से पहले और उसके बाद लड़की और उसके परिवार से समाज की बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। उसे खुद भी शादी से कई उम्मीदें होती हैं जो अक्सर पूरी नहीं होती। इसके अलावा शादी के दौरान दुल्हन केंद्र में रहती है लेकिन इसके बाद वह अकेली हो जाती है। प्रियजनों से दूर जाने की चिंता धीरे–धीरे डिप्रेशन में तब्दील हो जाती है। अन्य कारक जैसे दूल्हे के परिवार की दहेज की उम्मीदें या घरेलू हिंसा से हालात और भी बदतर हो जाते हैं।

डायस्टिमिया : यह लंबे समय तक चलने वाला निम्न–श्रेणी का अवसाद है और अधिकतर होम मेकर्स में देखा जाता है। यह आमतौर पर मूड ब्लूज से शुरू होता है। इसके चलते वयस्क महिलाएं निराशावादी और ऊब का

शिकार हो जाती हैं। इससे भूख में परिवर्तन हो सकता है, नींद की बीमारी, थकान और फैसले लेने में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। इस प्रकार के विकार वाली महिलाएं चुपचाप और उदासीन रहना पसंद करती हैं।

पीरियड्स संबंधी विकार : यह महीने में एक बार होता है। इसके चलते मासिक धर्म चक्र शुरू होने से पहले चिड़चिड़ापन और घबराहट होती है। मस्तिष्क अचानक आंतरिक हॉर्मोनल परिवर्तनों से असामान्य प्रतिक्रिया दिखाता है। इससे महिलाएं भावनात्मक और शारीरिक रूप से कमजोर हो सकती हैं। इसके प्रमुख लक्षणों में मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन, थकान और जल्दी से अभिभूत होना आदि शामिल हैं। यह लंबे समय तक बना रहे तो महिला निराशावादिता का शिकार हो सकती है और यह उसके पारिवारिक रिश्ते को भी प्रभावित कर सकता है। यह सिंड्रोम पीसीओडी/पीसीओएस जैसी समस्याओं की शिकार महिलाओं और कम उम्र की लड़कियों को अधिक प्रभावित करता है।

डिप्रेशन एक आम बीमारी की तरह ही एक बीमारी है और कुछ उपायों को अपनाकर डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं–

- यदि आपको लग रहा है कि आप डिप्रेशन में जा रहे है तो आप किसी अच्छे मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सक की सहायता लें।
- यदि आप डिप्रेशन से बाहर आना चाहते है तो आप कारण खोजें और यह विचार करें कि इस वजह से बाहर कैसे निकल सकते हैं।
- कल क्या होगा? यह सोच– सोच कर हम अपनी परेशानियों को और भी बढ़ा देते हैं, इसलिए हमें आज के बारे में ही सोचना चाहिए और आज को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए।
- किसी प्रकार के तनाव या दबाव को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप गाने सुनें। इससे तनाव में कमी आती है और इससे व्यक्ति स्वयं को तरोताज़ा महसूस करता है।
- इंसान डिप्रेशन को कम करने के लिए अक्सर नशीली चीजे जैसे– शराब, ड्रग्स आदि का सहारा लेता है। नशीली चीज़ों का सेवन करने से कुछ समय के लिए मानसिक तनाव दूर हो जाता है, परन्तु धीरे– धीरे इसकी आदत बन जाती है इसलिए व्यक्ति को नशीली चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए।

सतीश धुरी
कोंकण रेलवे कार्पोरेशन लिमिटेड

कोरोना

सच बताओ कोरोना
दुनिया में आने का तेरा इरादा क्या था ।
एक अजनबी संसार को
फँसाने वाला तेरा मकसद क्या था ।
लाखों की मृत्यु का
तू एक अविनाशी शस्त्र बन गया है
संसार को भयभीत करने वाला
तू एक नरसंहार बन गया है ।
अपराधियों को शिक्षा देना
नियति का काम ही है
लेकिन निरपराध को
मिटाने वाला एक 'प्यासा' बन गया है ।
चिताओं पर जलने वाली लाश
आज तुझे पुकार रही है
हमें बुझाने वाली शक्ति
तुम्हारे दुर्भाग्य का कारण बन गई है ।
क्या बिगड़ा था तुम्हारा
खुशियों का तुमने नर्क बना दिया
कब जाओगे कोरोना
तुमने दुनिया को शर्मिंदा कर दिया
'मत भूलो कोरोना' दुनिया जानती है
तेरी मृत्यु का माप क्या है?
सच बताओ कोरोना
तेरे बाप का नाम क्या है?

दत्ताराम पांडुरंग ढेपसे
उच्च श्रेणी सहायक, भारतीय जीवन बीमा निगम, रत्नागिरी शाखा

"प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना - फायदे और चुनौतियाँ"

देश के किसानों की फसल के संबंध में अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की केबिनेट ने 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरूआत की। सूखा पड़ जाने पर अथवा बाढ़ आने पर किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। कभी कभी इतना ज्यादा नुकसान हो जाता है कि किसान परेशान होकर आत्महत्या भी करने लगते हैं। इन परेशानियों/आपदाओं से राहत देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के किसानों के लिए इस योजना की शुरुआत की।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार द्वारा किसानों के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई एक योजना है जिसका लक्ष्य भारतवर्ष में कृषि को बढ़ावा देना, आए दिन हो रही किसानों की आत्महत्या को रोकना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसान अपनी फसल का बीमा बहुत सस्ती दरों पर करवा सकते हैं। इस योजना को सफल बनाने हेतु केंद्र और राज्य सरकार दोनों अपना अपना योगदान देंगी। इसमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल पर किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली बीमा की किस्तों को इतना कम रखा गया है कि प्रत्येक स्तर का किसान आसानी से इसका भुगतान कर सके। ये योजना न केवल खरीफ और रबी की फसलों के लिए, बल्कि वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी सुरक्षा प्रदान करती है। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए किसानों को 5% प्रीमियम का भुगतान करना होगा।

इस फसल बीमा योजना में शामिल किये गये मुख्य घटक :

1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की भुगतान की जाने वाली प्रीमियम (किस्तों) दरों को किसानों की सुविधा के लिए बहुत कम रखा गया है ताकि सभी स्तर के किसान आसानी से फसल बीमा का लाभ ले सकें।

2. इसके अन्तर्गत सभी प्रकार की फसलों (रबी, खरीफ, वाणिज्यिक और बागवानी की फसलें) को शामिल किया गया है। खरीफ (धान या चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना आदि) की फसलों के लिए 2% प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। रबी (गेहूँ, जौ, चना, मसूर, सरसों आदि) की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों बीमा के लिए 5% प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा।

3. सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है। यदि बचा हुआ प्रीमियम 90% होता है तो ये सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

4. शेष प्रीमियम बीमा कम्पनियों को सरकार द्वारा दिया जाएगा। ये राज्य तथा केन्द्रीय सरकार में बराबर–बराबर बाँटा जाएगा।

5. यह योजना राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन.ए.आई.एस.) और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एम.एन.ए.आई.एस.) का स्थान लेती है।

6. इसकी प्रीमियम दर एन.ए.आई.एस. और एम.एन.ए.आई.एस. दोनों योजनाओं से बहुत कम है, साथ ही इन दोनों योजनाओं की तुलना में पूरी बीमा राशि को कवर करती है।

7. इससे पहले की योजनाओं में प्रीमियम दर को ढकने का प्रावधान था जिसके परिणामस्वरुप किसानों के लिए भुगतान के कम दावे पेश किए जाते थे। ये कैपिंग सरकारी सब्सिडी प्रीमियम के खर्च को सीमित करने के लिए थी, जिसे अब हटा दिया गया है और किसान को बिना किसी कमी के दावा की गई राशि के खिलाफ पूरा दावा मिल जाएगा।

8. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत तकनीक का अनिवार्य प्रयोग किया जाएगा, जिससे किसान सिर्फ मोबाइल के माध्यम से अपनी फसल के नुकसान के बारे में तुरंत आंकलन कर सकता है।

9. मनुष्य द्वारा निर्मित आपदाओं जैसे; आग लगना, चोरी होना, सेंध लगना आदि को इस योजना के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया है।

10. प्रीमियम की दरों में एक रूपता लाने के लिए भारत में सभी जिलों को समूहों में दीर्घकालीन आधार पर बांट दिया जाएगा।

11. ये नई फसल बीमा योजना 'एक राष्ट्र एक योजना'मंत्र पर आधारित है। ये पुरानी योजनाओं की सभी अच्छाइयों को धारण करते हुए उन योजनाओं की कमियों और बुराइयों को दूर करती है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य :– प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य यह है कि कृषि क्षेत्र से संबंधित संधारणीय उत्पादन को सहायता उपलब्ध कराई जाए –

1. अनपेक्षित घटनाक्रम के कारण फसल हानि / प्राकृतिक आपदा से

पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना ।

2. किसानों की खेती में रुचि बनाए रखना तथा स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना ।

3. किसानों को फसलों में होने वाले नुकसान व चिंताओं से मुक्त कराना ।

4. लगातार खेती करने के लिए किसानों को बढ़ावा देना और भारत को विकसित तथा प्रगतिशील बनाना ।

5. किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि तरीके अपनाने के लिए प्रोसाहित करना ।

प्रधानमंत्री फसल बीमा की पात्रता

1. इस योजना के तहत देश के सभी किसान पात्र हो सकते हैं ।

2. इस योजना के तहत आप अपनी ज़मीन पर की गई खेती का बीमा करवा सकते हैं, साथ ही आप किसी उधारी पर ली गई ज़मीन पर की गई खेती का भी बीमा करवा सकते हैं ।

3. देश के उन किसानों को इस योजना के तहत पात्र माना जाएगा जो पहले किसी बीमा योजना का लाभ नहीं ले रहे हों ।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के फायदे :

1. प्राकृतिक आपदा के कारण यदि किसी किसान की फसल का नुकसान होता है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से उसकी बर्बाद हुई फसल का 25% उस किसान को तुरंत मिल जाएगा । जबकि बाकी बचे हुए नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा कुछ औपचारिकताएं पूरी कर लेने के बाद की जाएगी।

2. इस योजना का लाभार्थी बनने के लिए सरकार ने किसानों पर कोई बैरियर अर्थात सीमा निर्धारित नहीं की है । प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ छोटा या बड़ा, हर प्रकार का किसान ले सकता है ।

3. किसान निश्चिन्त होकर खेती कर पाएंगे, उनके मन में प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान का डर नहीं होगा।

4. किसानों की फसलों में होने वाले नुकसान का बीमा दिया जाएगा और स्थायी आमदनी उपलब्ध कराई जाएगी ।

5. यदि किसी किसान की फसल प्राकृतिक आपदा तथा मानव के कारण नष्टहुई है तो उसे इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा ।

6. योजना के तहत किसानों को 2 लाख रूपए तक की धनराशि मुआवजे के रूप में दी जा सकेगी।

7. फसल बर्बाद होने के कारण बहुत से किसान खेती करना ही छोड़ देते थे, अब इस योजना के माध्यम से इस तरह के मामले बंद हो जाएंगे।

8. इस बीमा योजना के अंतर्गत बीमा निकासी की प्रक्रिया को बेहद सरल बनाया जाएगा जिससे किसानों को अपना पैसा निकालने के लिए लम्बे समय तक इंतज़ार न करना पड़े ।

9. इस योजना को सफल बनाने हेतु वित्त में और अन्य संसाधनों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की भागीदारी संभावित है ।

10. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लक्ष्य लगभग सभी किसानों को इस योजना से लाभान्वित करवाना है । इससे यह हो सकता है आने वाले दिनों में हमें 'किसान आत्महत्या' जैसे शब्द सुनने को न मिलें।

11. यदि बीज बोते समय आपके पास पैसे नहीं हैं और आपने किसी से उधार लेकर अपने खेतों में बीज बोया है तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए अयोग्य हो गए हैं । यदि आप किसान हैं तो आप हर हाल में इस योजना के लिए योग्य हैं।

12. इस योजना को सफल बनाने और किसानों के जीवन में कुछ बदलाव करने हेतु केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए हैं । ऐसा भी संभव है कि इस योजना के अंतर्गत पैसा निकासी मोबाइल फोन के द्वारा भी हो ।

13. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ने के लिए जो प्रीमियम राशि निर्धारित की गई है, वह राशि पुरानी फसल बीमा योजना से लगभग 25% से 30% तक कम है ।

14. यदि किसी की फसल का नुकसान होता है और उस किसान के पास स्मार्ट–फोन है तो संभव है कि बीमा का भुगतान करने वाली कंपनी

स्मार्टफोन के द्वारा ही नुकसान हुई फसल का फोटो मंगवाकर उसके दावे को पास कर दे। उसको उसके नुकसान के पैसे दे दे । अर्थात इस योजना के अंतर्गत तकनीक के उपयोग की संभावना है।

15. चूँकि यह पुरानी फसल बीमा योजना का ही बदला हुआ स्वरूप है । इसलिए किसानों के परेशान होने की संभावना कम है । अन्यथा होता क्या है कि किसान हमेशा भ्रान्ति में रहता है कि पहले वाली योजना है या बाद वाली है ।

प्रधानमंत्री फसल बीमा के जरूरी दस्तावेज.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा करवाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आप अपने सभी जरूरी कागजात स्कैन करके ही बैठें। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप इन सभी कागजातों का फोन के कैमरे से फोटो खींचकर फोन के ही जरिए ऑनलाइन भर सकते हैं –

1. किसान का आई डी कार्ड
2. आधार कार्ड
3. राशन कार्ड
4. बैंक खाता
5. किसान का एड्रेस प्रूफ (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस,पासपोर्ट, वोटर आई डी कार्ड)
6. अगर खेत किराए पर लेकर खेती की गई है तो खेत के मालिक के साथ हुए इकरार की फोटो कॉपी भी आवश्यक है ।
7. खेत का खाता नंबर /खसरा नंबर संबंधी कागज ।
8. आवेदक का फोटो
9. किसान द्वारा फसल की बुआई शुरू किए जाने वाले दिन की तारीख

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी तिथियां

यदि आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो खरीफ फसल के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई है तथा रबी फसल के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। इस योजना की अंतिम तिथि सीएससी केंद्र, पीएमएफबीवाई पोर्टल, इंश्योरेंस कंपनी या फिर कृषि अधिकारी से भी पूछी जा सकती है।

फसल बीमा योजना की अन्य चुनौतियाँ : –

1. इस योजना के अंतर्गत जंगली जानवरों जैसे– हाथी, नील गाय, जंगली सूअर आदि द्वारा नष्ट की जाने वाली फसलों से संबंधित जोखिम और नुकसान को शामिल नहीं किया गया है। यह कुछ राज्यों के किसानों के लिए एक बड़ी समस्या है।

2. इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान तथा फसल की जानकारी पोर्टल पर भरना जरूरी है ।

3. सरकार तथा बीमा कंपनियों से बीमा राशि हर साल बढ़ती जा रही है ।

4. बीमा कवर एक सीज़न ही दिया जाता है । यदि दूसरे सीज़न में किसानों का नुकसान होता है तो उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलता। ।

5. किसानों को फसल के नुकसान पर तुरंत मदद नहीं मिल पाती है।

6. फसल बीमा योजना के पोर्टल में कई कमियां हैं।

7. कवर किसानों का डाटा पोर्टल पर अपलोड करने में बैंक को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ।

8. किसी कारणवश समय पर प्रीमियम जमा नहीं करने पर इस योजना का लाभ नहीं मिलता ।

9. समय पर प्रीमियम जमा कराने में राज्य सरकारें कर रही ढिलाई ।

10. बड़े स्तर पर बीमा कवरेज के बावजूद बीमांकिक प्रीमियम (Actuarial premium) की राशि बढ़ती जा रही है, जबकि किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए इसे कम–से–कम होना चाहिए था। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बीमा कंपनियाँ अधिकतम फायदा लेने के चक्कर में प्रीमियम राशि बढ़ा देती हैं।

11. राज्य बीमा कंपनियों को अग्रिम प्रीमियम राशि का भुगतान करने में ही विफल हो रहे हैं। किसानों को मुआवजा मिलने में भी देरी हो रही है।

12. ज़्यादातर राज्यों में इस योजना के तहत बीमा कवर के लिए बोली लगाई जाती है। बोली एक सीज़न (6 माह) या दो सीज़न (1 वर्ष) के लिए होती है। जो बीमाकर्ता कंपनी एक सीज़न के लिए बीमा कवर की बोली जीतती है उसे अगले सीज़न में आने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इससे होता यह है कि जिस साल मानसून बेहतर रहता है उस वर्ष बीमा कर्ता खूब लाभ कमाते हैं लेकिन जिस वर्ष मानसून के कमज़ोर होने की

ऑनलाइन संयुक्त हिन्दी कार्यशाला

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में बैंक ऑफ इंडिया, रत्नागिरी अंचल कार्यालय द्वारा दिनांक 06.10.2020 को सदस्य कार्यालयों के स्टाफ सदस्यों के लिए गूगल मीट एप के माध्यम से ऑनलाइन हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया । सदस्य सचिव निरंजन कुमार सामरिया द्वारा राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान, राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम, राजभाषा कार्यान्वयन, तिमाही एवं छमाही रिपोर्ट, हिन्दी यूनिकोड में टाइपिंग कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। गूगल वॉइस टाइपिंग के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारी बिपिन कुमार विश्वकर्मा द्वारा जानकारी प्रदान की गई ।

ऑनलाइन आशुभाषण प्रतियोगिता

नराकास के तत्वावधान में दिनांक 24.09.2020 को सदस्य कार्यालयों के स्टाफ सदस्यों के लिए आशुभाषण प्रतियोगिता का आयोजन

ऑनलाइन छमाही बैठक जुलाई 2020 की झलकियाँ

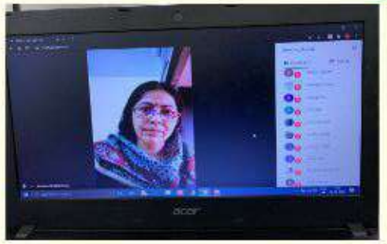

नराकास वार्षिक कार्ययोजना
2020-2021 का विमोचन

ई-पत्रिका "प्रेरणा"
का विमोचन

हिंदी माह / पखवाड़ा/ दिवस 2020

बैंक ऑफ़ इंडिया, आंचलिक कार्यालय, रत्नागिरी

दि न्यू इंडिया एशुरेंस कंपनी लि.

कोंकण रेल्वे

भारतीय
तटरक्षक अवस्थान

हिंदी माह / पखवाड़ा/ दिवस 2020

पवन गुब्बारा वेध शाला

सीमा सुल्क मंडल

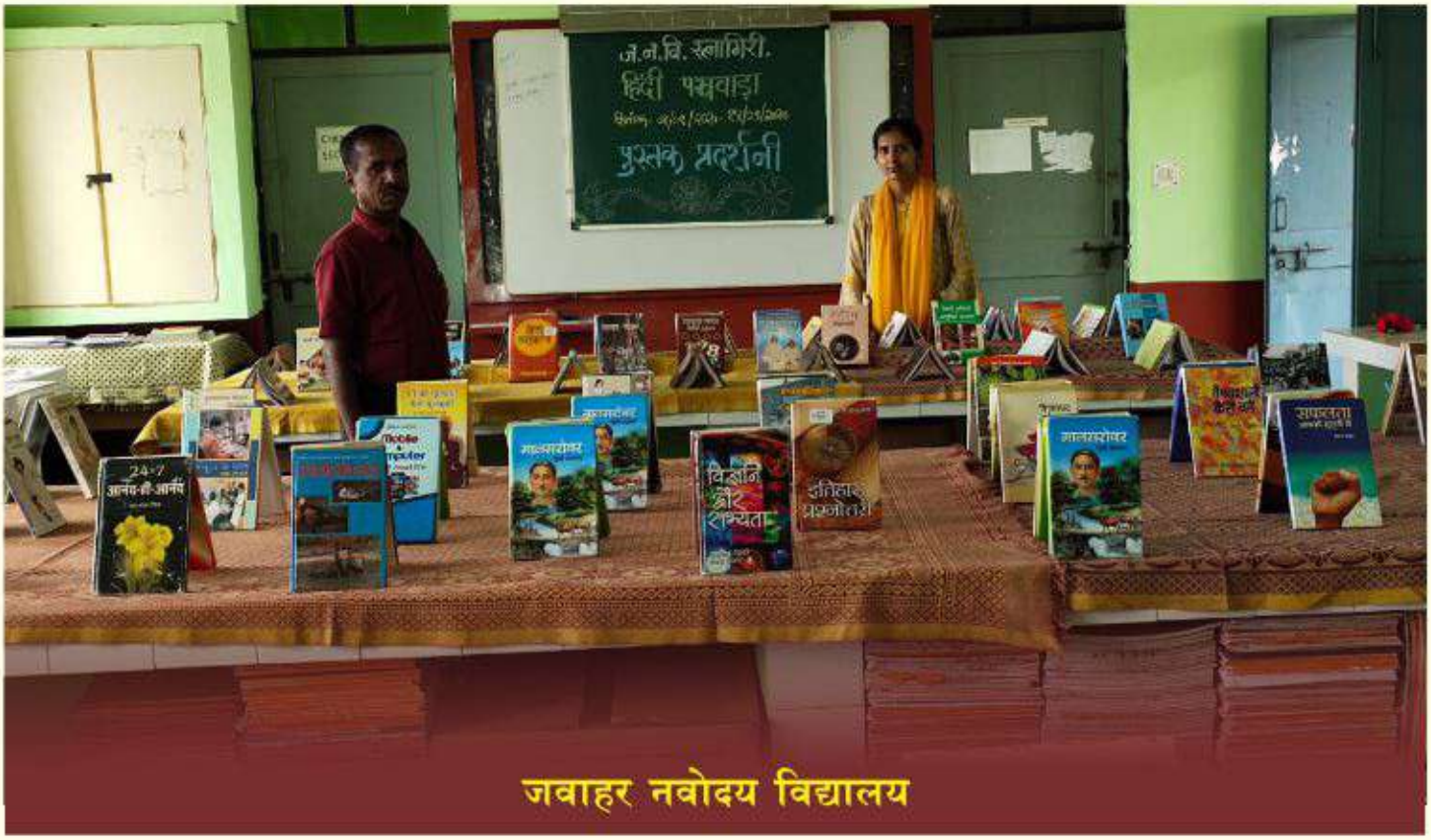

जवाहर नवोदय विद्यालय

संभावना होगी, उस वर्ष वे बीमा कवर की ज़िम्मेदारी ही नहीं लेंगे।

13. ज़्यादातर राज्यों में इस योजना के तहत बीमा कवर के लिए किसानों से ज्यादा रकम ली जाती है ।

निष्कर्ष

आज भी भारत की एक बड़ी आबादी गाँवों में निवास करती है तथा कृषि पर निर्भर है। ऐसे में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सफल क्रियान्वयन न केवल अन्नदाताओं के जीवन में खुशहाली ला सकता है, बल्कि आने वाली पीढ़ी को कृषि के मार्ग को अपनाने के लिये प्रेरित भी कर सकता है। अत: इस योजना के उद्देश्य की पूर्ति हेतु सरकार को योजना के समक्ष आने वाली उपरोक्त सभी चुनौतियों के संबंध में जल्द–से–जल्द समाधान का मार्ग तलाशना चाहिए ताकि किसानों के नुकसान की भरपाई करने के साथ–साथ एक विश्वसनीय माहौल तैयार किया जा सके। इसके लिए राज्यों को प्रबंधित करने के साथ–साथ बीमा कंपनियों पर सख्ती बरतने की आवश्यकता है।

नागेश्वर शांताराम शेलके
कृषि वित्त विभाग, बैंक ऑफ इंडिया, आंचलिक कार्यालय, रत्नागिरी

हमारा प्यारा डाकिया

कभी राखी, कभी खत
कभी मनीऑर्डर लाता है
अब भी डाकिया
खुशियों की बौछार करता है ।
बंद लिफाफे में होती हैं
कई ख्वाहिशें अधूरी
किसी के प्यारे सपने
कोई कहानी अधूरी ।
किसी बहना का प्यार
कोई माँ का दुलार
कभी मुहब्बत का इज़हार
किसी प्रेमी की तकरार ।
कोई खत खुशी से गले लगाता है
तो कोई ग़म में फाड़ देता है
किसी की आँखें नम होती हैं
तो कभी बिछड़ा यार मिला देता है।
माना आज ज़माना मोबाइल का है
पर डाकिए की अहमियत आज भी क्या कम है
आई.पी.पी.बी. का खाता यही खुलवाता है
यही कोरोना योद्धा कहलाता है ।
इस प्यारे डाकिए को
मेरा तहे दिल से सलाम
जिसके थैले में होते हैं
अनगिनत पैगाम ।
तुम्हारे खयाल किसी डाकिए से कम नहीं
पहुँच ही जाते हैं, यादें बनकर कहीं से भी ।
एक अजीब सा अहसास
दिल पर दस्तक दे गया
डाकिया चुपके से आया
और उसके नाम का खत छोड़ गया ।

मनीषा वसंत झगड़े
उप डाकपाल, रत्नागिरी कलेक्टोरेट
उप डाकघर,रत्नागिरी

भारतीय तटरक्षक पर प्रकाश एवं उनके कर्तव्य

भारतीय तटरक्षक की स्थापना शांतिकाल में भारत की समुद्री सुरक्षा करने के उद्देश्य से 18 अगस्त 1978 को संघ के एक स्वतंत्र सशस्त्र बल के रूप में संसद द्वारा तटरक्षक अधिनियम, 1978 के अंतर्गत की गई। 'वयम रक्षाम:' का अर्थ है – हम रक्षा करते हैं। यह भारतीय तटरक्षक का आदर्श वाक्य है। वर्तमान में भारतीय तटरक्षक की कमान महानिदेशक जनरल कृष्णस्वामी नटराजन ने संभाली हुई है। भारतीय तटरक्षक का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसे पाँच क्षेत्रों में बाँटा गया है जो इस प्रकार से हैं। पश्चिमी क्षेत्र – क्षेत्रीय मुख्यालय मुंबई, पूर्वी क्षेत्र – क्षेत्रीय मुख्यालय चेन्नई, उत्तर पूर्वी क्षेत्र – क्षेत्रीय मुख्यालय कोलकाता, अंडमान व निकोबार क्षेत्र – क्षेत्रीय मुख्यालय पोर्ट ब्लेयर, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र – क्षेत्रीय मुख्यालय गाँधीनगर, (गुजरात)। भारतीय तटरक्षक अवस्थान रत्नागिरी पश्चिमी क्षेत्र – क्षेत्रीय मुख्यालय मुंबई के अधीन आता है। भारत में तटरक्षक का आविर्भाव, समुद्र में भारत के राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार के भीतर राष्ट्रीय विधियों को लागू करने तथा जीवन और संपति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक नई सेवा के तौर पर 01 फ़रवरी 1977 को हुआ था। इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि नौसेना को इसके युद्धकालीन कार्यों के लिए अलग रखा जाना चाहिए तथा विधि प्रवर्तन के उत्तरदायित्व हेतु एक अलग सेवा का गठन किया जाए, जो कि पूर्ण रूप से सुसज्जित तथा विकसित राष्ट्र जैसे संयुक्त राज्य अमरीका इत्यादि के तटरक्षकों के तर्ज पर बनाई गई हो।

इस योजना को मूर्तरूप देने हेतु सितम्बर 1974 में श्री के एफ रूस्तमजी की अध्यक्षता में समुद्र में तस्करी की समस्याओं से निपटने तथा तटरक्षक जैसे संगठन की स्थापना का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने एक ऐसी तटरक्षक सेवा की सिफारिश की जो कि रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में नौसेना की तर्ज पर सामान्य तौर पर संचालित हो तथा शांतिकाल में हमारे समुद्र की सुरक्षा करे। दिनांक 25 अगस्त 1976 को भारत का समुद्री क्षेत्र अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम के अधीन भारत ने 2.01 लाख वर्ग किलोमीटर समुद्री क्षेत्र का दावा किया, जिसमें भारत को समुद्र में जीवित तथा अजीवित दोनों ही संसाधनों के अन्वेषण तथा दोहन के लिए अनन्य अधिकार होगा। इसके बाद मंत्रिमंडल द्वारा 01 फ़रवरी 1977 से एक अंतरिम तटरक्षक संगठन के गठन का निर्णय लिया गया। दिनांक 18 अगस्त 1978 को संघ के एक स्वतंत्र सशस्त्र बल के रूप में भारतीय संसद द्वारा तटरक्षक अधिनियम, 1978 के तहत भारतीय तटरक्षक का औपचारिक तर पर उद्घाटन किया गया।

भारतीय तटरक्षक के मिशन का वक्तव्य इस प्रकार है – 'हमारे समुद्र तथा तेल, मत्स्य एवं खनिज सहित अपतटीय संपत्ति की सुरक्षा, संकटग्रस्त नाविकों की सहायता तथा समुद्र में जान माल की सुरक्षा, समुद्र, पोत–परिवहन, अनधिकृत मछली शिकार, तस्करी और स्वापक से संबंधित समुद्री विधियों का प्रवर्तन, समुद्री पर्यावरण और परिस्थिति का परिरक्षण तथा दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा, वैज्ञानिक आंकड़े एकत्र करना तथा युद्ध के दौरान नौसेना की सहायता करने सहित हमारे समुद्र तथा अपतटीय परिसम्पत्तियों का संरक्षण करना है।

भारतीय तटरक्षक के अपने कर्तव्य एवं सेवाएँ हैं। भारतीय तटरक्षक,भारत के समुद्री क्षेत्रों में लागू सभी राष्ट्रीय अधिनियमों के उपबंधों का प्रवर्तन करने के लिए प्रमुख संस्था है जो राष्ट्र एवं समुद्री समुदाय के प्रति कई सेवाएं प्रदान करता है । इनमें हमारे समुद्री क्षेत्रों में कृत्रिम द्वीपों, अपतटीय संस्थापनाओं तथा अन्य संरचना की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करना, मछुवारों की सुरक्षा करना तथा समुद्र में संकट के समय उनकी सहायता करना, समुद्री प्रदूषण के निवारण और नियंत्रक सहित हमारे समुद्री पर्यावरण का संरक्षण और परिरक्षण करना, तस्करी–रोधी अभियानों में सीमा–शुल्क विभाग तथा अन्य प्राधिकारियों की सहायता करना, भारतीय समुद्री अधिनियमों का प्रवर्तन करना एवं समुद्र में जान–माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करना आदि शामिल हैं।

भारतीय तटरक्षक अवस्थान रत्नागिरी के लिए वर्ष 2019 की शुरुआत ऑपरेशन के रूप में लाभप्रद रही। भारतीय तटरक्षक अवस्थान रत्नागिरी ने सागरी पोलिस, कस्टम, इंटेलिजेंस ब्यूरो तथा फिशरीज़ विभाग इन सभी एजेंसियों के साथ मिलकर एक चीनी मछवारी जहाज पर संयुक्त बोर्डिंग एवं खोज ऑपरेशन को अंजाम दिया। भारतीय तरक्षक अवस्थान रत्नागिरी द्वारा कोल्हापुर तथा सांगली के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आपदा राहत तथा मानवीय सहायता के कार्यों को प्रभावी रूप से अंजाम दिया गया। इस ऑपरेशन को अंजाम देने हेतु कोल्हापुर में 2 टुकडियां एवं सांगली में 6 टुकडियां भेजी गई थी। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय तटरक्षक अवस्थान रत्नागिरी ने 1335 से भी अधिक लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। स्थानीय प्रशासन द्वारा मांगी गई सहायता का भारतीय तटरक्षक अवस्थान रत्नागिरी द्वारा तत्परता से जबाव दिया गया। भारतीय तटरक्षक अवस्थान रत्नागिरी मछुआरों को समुद्र में जाने के लिए उपयुक्त एवं सही पद्धति सिखाने में यकीन रखती है। इसलिए भारतीय तटरक्षक अवस्थान रत्नागिरी हर महीने मछुआरों के गाँव में एक सामुदायिक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जहां मछुआरों की सुरक्षा संबंधी सभी समस्याओं को

अंजाम दिया जाता है। भारतीय तटरक्षक अवस्थान रत्नागिरी पश्चिमी तटीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पूरे पश्चिमी तटीय क्षेत्र में 24 x 7 सतर्कता रखने के प्रयासों में सभी भागीदार संस्थाओं के साथ नियमित रूप से सम्पन्न होने वाले सागर कवच नामक अभ्यास उपक्रम का भी समावेश है।

भारतीय तटरक्षक अवस्थान रत्नागिरी द्वारा एक नियमित अंतराल के बाद 'स्वच्छ भारत – स्वच्छ सागर' विशेष स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जिसके अंतर्गत प्लास्टिक के कचरे को सागर तट से उठाया जाता है। इसके साथ ही इस अवस्थान द्वारा हर साल सितंबर महीने के तीसरे शनिवार को समुद्र के किसी भी बीच को साफ करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है । इस कार्यक्रम में रत्नागिरी जिले के कुछ स्कूलों के बच्चों को बीच की सफाई करने के लिए आमंत्रित किया जाता है और इस अवस्थान के कमान अधिकारी द्वारा सभी बच्चों को प्रमाण–पत्र से सम्मानित किया जाता है।

मौ. नदीम
हिन्दी आशुलिपिक, भारतीय तटरक्षक अवस्थान, रत्नागिरी

स्वदेश प्रेम

हमको स्वदेश से अमित प्यार ।
हमको स्वदेश से अमित प्यार ।।
उत्तर गिरिराज पुकार रहा
दक्षिण पद सिंधु पखार रहा ।
यह प्रकृति, नदी का क्रीड़ांगण
नर्तकियों के नर्तन का प्रांगण ।।
उद्घोषित करते साधिकार ।
हमको स्वदेश से अमित प्यार।।
इसके हित खून बहा देंगे
हम अरि को धूल चटा देंगे ।
इसकी रक्षा में निरत सजग
हम तन का रक्त बहा देंगे ।।
लेंगे जननी का पद पखार ।
हमको स्वदेश से अमित प्यार ।।
अरि के निमित्त हम शत्रु प्रखर
जो मित्र बने तो मित्र प्रवर ।
हम उसको गले लगाते हैं
सद्य स्वकीय बन जाते हैं ।।
जग सारा मेरा बंधु यार ।
हमको स्वदेश से अमित प्यार ।।
हम राम कृष्ण आदर्श पुरुष की
मर्यादा अपनाते हैं ।
दानवता आतंक विघ्न को
हम अति दूर भगाते हैं ।।
हम करते रावण का संहार ।
हमको स्वदेश से अमित प्यार ।।

दुश्मन बन जाए पड़ौसी जो
वह नाहक खून बहाए ।
हम शांति शांति के अग्रदूत
हमको अशांति न भाए ।।
वसुधा हितार्थ है प्रेम धार ।
हमको स्वदेश से अमित प्यार ।।
भारतवासी हम प्रेमभक्त
बस क्षमा दया दिखलाते हैं ।
ले कलम – कटार करों में दो
जग में इतिहास रचाते हैं ।।
अरि पर करते नहीं प्रथम वार ।
हमको स्वदेश से अमित प्यार ।।

मोहन मधुकर
स्टेशन मास्टर, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लि., रत्नागिरी

राजभाषा हिन्दी : एक चिंतन

संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत हिन्दी हमारे देश की राजभाषा है। हिन्दी को देश की जनभाषा, संपर्क भाषा, लोकभाषा और शिक्षा एवं प्रशिक्षण की भाषा के रूप में जाना जाता है। कई प्रकार के संघर्षों और देश के लोगों से अपने प्रति अपनापन पाकर ही हिन्दी देश की राष्ट्रभाषा बन सकी। हिन्दी की इस प्रतिष्ठा और सर्वग्राह्यता के लिए महात्मा गांधी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, गोपालस्वामी आयंगर, श्यामाप्रसाद मुखर्जी, स्वामी दयानन्द सरस्वती, वीर सावरकर, लोकमान्य तिलक, जस्टिस शारदाचरण जैसे देश के कई विचारवान और सिद्ध पुरुषों ने समर्थन ही नहीं दिया, बल्कि उसके प्रचार–प्रसार में भी महती योगदान दिया है।

हिन्दी भाषा ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में लोगों के बीच राजनैतिक जागृति पैदा करने में अहम भूमिका निभाई। स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में ही हिन्दी देश की संपर्क भाषा के रूप में काम कर रही थी। आजादी का नारा बुलंद करने में हिन्दी भाषा काफी सक्षम रही थी। इसी भाषा के माध्यम से आजादी के विचारों का अग्निकुंड प्रज्वलित किया गया था। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस दायित्व को हिन्दी भाषा ने बखूबी निभाया था। आज हिन्दी भाषा आधुनिक युग की बोधभाषा बन गई है। यह सब कुछ इसलिए संभव हो पाया है कि हिन्दी अपनी सरलता और सहजता में अनुपम है। इसी गुण के कारण हिन्दी अन्य भाषा–भाषियों को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार केंद्र सरकार के कार्य हिन्दी में किए जाने अपेक्षित हैं। कई राज्य सरकारें भी हिन्दी में अपने कामकाज करती हैं। संविधान में यह भी व्यवस्था है कि राज्य सरकारें अपने राज्य में प्रचलित एक या अधिक भाषाओं में अपने प्रशासनिक कामकाज निपटा सकती हैं। इसलिए अपने कर्तव्य मार्ग पर बढ़ते हुए हिन्दी में अपना काम करना है। इस प्रक्रिया में कठिनाई भले आए, लेकिन हार मानना कतई गवारा न हो। हिन्दी दृश्य मनोरंजन की सबसे उपयुक्त भाषा बन गई है। कुछ इलेक्ट्रोनिक माध्यमों एवं बुद्धिजीवियों ने अंग्रेजी भाषा को ज्यादा तवज्जो दी है, बावजूद इसके हिन्दी ने अपने सर्वग्राह्य गुणों के कारण जनमानस में अपनी गहरी पैठ बनाई है। बात उदारीकरण की हो या नई आर्थिक नीतियों की, हिन्दी का सहारा लेकर ही उपभोक्ता संस्कृति प्रबल हो पाई है। हिन्दी व्यापार की भाषा बनी है। हर तरह के विज्ञापन की भाषा बनी है। आज हिन्दी रोजी–रोटी की भी भाषा बनी है।

हिन्दी भाषा राजभाषा का ऊंचा दर्जा प्राप्त कर सभी धर्मों, वर्गों, प्रान्तों और क्षेत्रों की सीमाओं को पार करके देश की एकता और अखंडता की प्रतीक बनी है। इसलिए अपनी क्षमता और आत्मविश्वास के साथ राष्ट्रीय शक्ति को जागृत करके कार्य करना अनिवार्य है। हिन्दी भाषा का हजार वर्ष का अपना इतिहास है। संत–महंत, लेखक–विचारकों ने इसे पाला–पोसा है। संस्कृत भाषा से उपजी होने के कारण व्याकरण का ढांचा इसका मजबूत है। मौलिक शब्द भंडार के मामले में भी यह भाषा पर्याप्त समृद्ध है। यही कारण है कि आज दुनिया के लगभग 136 देशों में हिन्दी में अध्ययन–अध्यापन की सुविधा उपलब्ध है। संवैधानिक व्यवस्था तथा इसके अधीन बने अधिनियमों–नियमों के अंतर्गत हमें देश का कामकाज राजभाषा हिन्दी में करने की महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ मिली हैं। संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिन्दी को देश की राजभाषा के रूप में एकमत से स्वीकार किया था। संविधान के अनुच्छेद 343 (i) के अनुसार 'देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी संघ की राजभाषा होगी।' दैनिक प्रशासनिक कामकाज में हमें राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3), जो कि कुछ निर्धारित दस्तावेजों के द्विभाषी (हिन्दी–अंग्रेजी) रूप में जारी किए जाने पर बल देती है, का पूर्ण अनुपालन करना चाहिए। हिन्दी केवल अनुवाद की ही भाषा न रहे, बल्कि मूल रूप से प्रशासनिक कामकाज हिन्दी में होना चाहिए। प्रशासनिक कामकाज में सभी प्रकार के पत्र, टिप्पणियाँ, आलेखन, विज्ञापन, सूचनाएँ, रिपोर्ट, परिपत्र, अधिसूचनाएं, निविदा, करार और अन्य तरह की सामग्री आदि का अनुवाद प्राथमिक तौर पर होना चाहिए।

दस्तावेजों की द्विभाषिकता में भी पहले हिन्दी में ड्राफ्टिंग हो और फिर उसका अनुवाद अंग्रेजी में हो। इस विषय में समय समय पर विचार किया जाना भी आवश्यक है। हमें मातृभाषा के साथ राष्ट्रभाषा की महत्ता भी समझनी होगी और अपने कार्यों में इसका प्रयोग करना होगा। राजभाषा के प्रयोग को लेकर हमें कोई भ्रम नहीं रखना चाहिए। हिन्दी के प्रति हमें अपने दृष्टिकोण को भी बदलना होगा। इस विषयक किसी भी भ्रामक धारणा से भी बचना चाहिए। हम हिन्दी का प्रयोग मानसिक रूप से दृढ़प्रतिज्ञ होकर ही कर सकते हैं, तभी हमें इस कार्य में सफलता मिलेगी। संविधान निर्धारित हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा की जानी चाहिए । राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिन्दी ने काफी संघर्ष किया है। किसी भी देश की राष्ट्रभाषा उस देश की अस्मिता होती है। जितना ऊंचा स्थान किसी देश में राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगीत का होता है वैसा ही राष्ट्रभाषा का भी होता है। देश की एकता और अखंडता के लिए हिन्दी का महत्त्व सर्वोपरि है। लेकिन राष्ट्रभाषा के साथ साथ हमारे देश की हर एक भाषा वंदनीय और प्रणम्य है।

श्री दत्ताराम पांडुरंग ढेपसे
उच्च श्रेणी सहायक, भारतीय जीवन बीमा निगम,
शाखा रत्नागिरी

राष्ट्रभाषा हिन्दी

भाषा के द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान–प्रदान करता है । अपनी बात को कहने के लिए और दूसरे की बात को समझने के लिए भाषा एक सशक्त माध्यम है ।

जब मनुष्य इस पृथ्वी पर आकर होश सँभालता है, तब उसके माता–पिता उसे अपनी भाषा में बोलना सिखाते हैं । इस तरह भाषा सिखाने का ये काम लगातार चलता रहता है । प्रत्येक राष्ट्र की अपनी अपनी भाषाएँ होती हैं । लेकिन जो भाषा उस राष्ट्र विशेष में बड़े पैमाने पर बोली जाती है और उसी भाषा में राज–कार्य भी होता है तो वह उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा होती है । भारत में कई राज्य है । इन राज्यों की अपनी अपनी भाषाएँ हैं । इस तरह भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है लेकिन उसकी अपनी एक राष्ट्रभाषा है –'हिन्दी'। 14 सितंबर 1949 को हिन्दी को भारतीय संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया ।

चीनी भाषा के बाद सबसे अधिक हिन्दी बोली जाती है। हिन्दी विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है । भारत और विदेश में करीब 50 करोड़ लोग हिन्दी बोलते हैं । हिन्दी भाषा को समझने वाले लोगों की संख्या करीब 90 करोड है । हिन्दी भाषा का मूल प्राचीन संस्कृत भाषा में है । इस भाषा ने अपना वर्तमान स्वरूप कई शताब्दियों के पश्चात हासिल किया है । बड़ी संख्या में बोलीगत विभिन्नताएँ अब भी मौजूद है । हिन्दी की लिपि देवनागरी है । कुछ और भी भारतीय भाषाएँ हैं जिनकी लिपि देवनागरी है । हिन्दी के अधिकतम शब्द संस्कृत से आए हुए हैं । हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों है ।

हमारे संविधान में देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है । हिन्दी की गिनती भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में की जाती है । भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई है कि केंद्र सरकार के पत्राचार की भाषा हिन्दी और अंग्रेजी होगी । यह विचार किया गया था कि 1965 तक हिन्दी पूर्णतः केंद्र सरकार के कामकाज की भाषा बन जाएगी । हिन्दी का प्रमुख गुण यह है कि यह बोलने, लिखने और पढ़ने में अत्यंत सरल है । हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है कि हिन्दी व्याकरण के बड़े नियम केवल एक पोस्टकार्ड पर लिखे जा सकते हैं । संसार के किसी भी देश का मनुष्य कुछ ही समय के प्रयास से हिन्दी बोलना, पढ़ना और लिखना सीख सकता है । इसकी दूसरी विशेषता है कि यह भाषा लिपि के अनुसार चलती है । इसमें जैसा बोला जाता है, वैसा ही लिखा जाता है । संसार की लगभग सभी भाषाओं के शब्द जैसे – कुर्सी, अलमीरा, कमीज, बटन, बेंच, स्टेशन जैसे कई शब्द इसमें घुल–मिल सकते हैं। ये शब्द हिन्दी के मूल शब्द नहीं हैं लेकिन अब हिन्दी के बन गए हैं ।

हर क्षेत्र में आगे हैं हम
हिन्दी हमें अपनानी है ।
हर एक भारतवासी को
हिन्दी हमें सिखलानी है ।
अक्षर अक्षर स्वर्णिम इसका
शब्द शब्द अनमोल ।
जन्मी भारत की पुण्यधरा पर
हिन्दी की जय–जय बोल ।

एकता की जान है हिन्दी
देश की शान है हिन्दी
हिन्दी का सम्मान
देश का सम्मान
भारत माँ की बिंदी
सारे संसार की भाषा हिन्दी

हमारी राष्ट्रभाषा की अत्यधिक लोकप्रियता और बढ़ते अंतरराष्ट्रीय महत्त्व के साथ हिन्दी भाषा में रोजगार के अवसरों में भी जबरदस्त प्रगति हुई है । केंद्र सरकार सहित कई हिन्दी भाषी राज्यों की सरकारों के विभागों में हिन्दी भाषा में काम करना अनिवार्य है । अतः केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और इकाइयों में हिन्दी अधिकारी, हिन्दी अनुवादक जैसे विभीन्न पदों की भरमार है। निजी टीवी और रेडियो चैनलों की शुरुआत स्थापित पत्रिकाओं/ समाचार–पत्रों के हिन्दी रूपांतर आने से रोजगार के अवसरों में कई गुना वृद्धि हुई है । हिन्दी मीडिया के क्षेत्र में संपादकों, संवाददाताओं, रिपोर्टरों, समाचारवाचकों, उप संपादकों, प्रूफ रीडरों, रेडियो जॉकी एंकर्स आदि की बहुत आवश्यकता है ।

इस स्थिति ने अन्य देशों में हिन्दी को लोकप्रिय और सरलता से सीखने योग्य भारतीय भाषा बनाने में काफी योगदान दिया है । अमेरिका में कुछ स्कूलों ने फ्रेंच, स्पेनिश और जर्मन के साथ साथ हिन्दी को भी विदेशी भाषा के रूप में शुरू करने का निर्णय लिया है । हिन्दी ने भाषा विषयक कार्यक्षेत्र में स्वयं के लिए एक वैश्विक मान्यता अर्जित कर ली है ।

हर साल 14 सितंबर को हिन्दी दिवस मनाया जाता है । कई सरकारी कार्यालयों में हिन्दी सप्ताह, हिन्दी पखवाड़ा, हिन्दी माह का आयोजन किया जाता है । इस अवसर पर सरकारी, अर्द्धसरकारी अथवा अधीनस्थ संस्थाओं में उक्त आयोजन किए जाते हैं और विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है । भारत में जब हर कागज पर हिन्दी लिखा जाएगा, तब ही हिन्दी दिवस का पावन लक्ष्य पूरा होगा । इसकी शुरुआत आज से और अपने आप से कर हिन्दी भाषा को सारे जग की भाषा बनाने में योगदान दें । यद्यपि हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी है, परंतु हमारा चिंतन आज भी विदेशी है । हम वार्तालाप करते समय अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करने में गौरव का अनुभव करते हैं, भले ही बोली जाने वाली

अंग्रेजी अशुद्ध हो । हमें इस मानसिकता का परित्याग करना चाहिए और हिन्दी का प्रयोग करने में गर्व का अनुभव करना चाहिए । जब विश्व के अन्य देश अपनी भाषा में पढ़ाई कर उन्नति कर सकते हैं तो हमें अपनी राष्ट्रभाषा अपनाने में झिझक क्यों होनी चाहिए । राष्ट्रीय स्तर पर पत्र–व्यवहार हिन्दी में होना चाहिए । स्कूलों के छात्रों को हिन्दी पत्र–पत्रिकाएँ पढ़ने हेतु प्रेरित करना चाहिए । जब हमारे देश के छात्र हिन्दी प्रेमी हो जाएंगे, तब हिन्दी का धाराप्रवाह प्रसार होगा । भारत की भूमि पर जन्म लेने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम भारत की भाषाओं के विकास पर बल दें और हिन्दी का विकास करके सभी भाषाओं को जोड़ने का प्रयास करें, तभी हिन्दी सचमुच में राष्ट्रभाषा बन पाएगी ।

नितिन रसाल
सीमा शुल्क कार्यालय, रत्नागिरी

हिन्दी भाषा ही तो
हम सबको पहचान दिलाती है
हर मानव के मन के
भावों को यह दर्शाती है
जीवन आधार है हिन्दी
हम प्यार बहुत इसे करते हैं
राष्ट्रभाषा है अपनी हिन्दी
राष्ट्रभाषा है अपनी हिन्दी

भाषा

शब्दों की अभिव्यक्ति है भाषा
व्यक्ति की प्रवृत्ति है भाषा
कभी आसमां की ऊंचाई
समंदर की कभी गहराई भाषा ।
माँ की ममता और पिता की डांट है भाषा
हवाओं से शीतल कभी, अग्नि सी प्रखर है भाषा
नटखट बचपन सी नादान कभी
बुजुर्ग से परिपक्वकभी ।
कभी नादान जवानी सी अल्हड़
ज्ञानी सी तेजस्वी कभी
संहार का प्रलय है भाषा
सृजन का बीज है भाषा ।
शब्दों की समृद्धि कभी
अदब की है सादगी कभी
कभी है झरने सा झलकता भोलापन
बहती नदी की सहजता कभी ।
शास्त्रीय संगीत का राग कभी
भंगड़ा का ताल कभी
कभी लचकती लावणी है
मनमोहक कथकली कभी ।
गीता की वाणी कभी
कभी कुरान की आयतें हैं
योद्धाओं का त्याग कभी
संतों की आस्था कभी ।
कभी विरह की वाणी है
प्रेम के छलकते भाव कभी
कभी उदास मेघ है
हँसती – गाती दामिनी कभी ।
भाषा न केवल संवाद है
भावनाओं का ये सागर है
ये संस्कृतियों का दर्पण है
समपरण का यह प्रतीक है ।
अपनों का अपनत्व है भाषा
एक सूत्र में पिरोने वाला रेशमी बंध है भाषा ।।

सतीश एकनाथ धुरी
कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लि., रत्नागिरी

व्यस्त जीवन शैली : प्रभाव और उपाय

आज की व्यस्त जीवन शैली और भौतिकता का असर लोगों के स्वास्थ्य और पारिवारिक मूल्यों पर नजर आने लगा है। हमारी आज की जीवन शैली आधुनिक है जिसमें एक ओर तो तकनीकों ने हमारे जीवन को बहुत ही सुविधाजनक और आरामदायक बना दिया है, वही दूसरी ओर खान–पान की गलत आदतों और काम की अत्यधिक व्यस्तता ने हमारे स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित किया है। हम सभी इस बात को जानते हैं कि जीवन शैली हमारे हर दिन के कार्यों और व्यवहारों का ही रूप है। इस मानव जीवन शैली के कई तरह के दुष्प्रभाव रहे हैं जिनमें से कुछ निम्न हैं –

● **मानसिक तनाव :–** आजकल युवाओं में मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है जिसके कई कारण हो सकते हैं यथा काम का बोझ, मोबाइल का अत्यधिक उपयोग, अकेलापन, व्यस्त जीवन के चलते परिवार को समय न दे पाने से उपजे झगड़े आदि । उक्त के चलते पैदा हुआ मानसिक तनाव विभिन्न प्रकार की मानसिक बीमारियों को जन्म देता है।

● **गुस्सा :–** जीवन की व्यस्तता और आधुनिक जीवन शैली की वजह से जो चीज सबसे अधिक बढ़ रही है, वह है – हमारे अंदर का गुस्सा । आजकल व्यक्ति छोटी–छोटी बातों पर गुस्सा करने लगता है। इस गुस्से की वजह से परिवार एवं कार्य–स्थल पर नकारात्मक माहौल पैदा होता है। गुस्से का मुख्य कारण तनाव, काम का दबाव, चिड़चिड़ापन हो सकता है।

● **मोटापा :–** आज मोटापे की समस्या दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसका मुख्य कारण खान–पान की बुरी आदतें, आधुनिक आरामदायक जीवन, लंबे समय तक कार्यालय में एक ही स्थान पर बैठना और व्यायाम–योगा आदि न करना। प्रतिदिन कसरत करना या योगा करना या एक आवश्यक दूरी तक पैदल चलना ये वे आवश्यक क्रियाएँ हैं जो मोटापे की स्थिति को कम करती है या उसे नियंत्रित करती है या उस स्थिति में जाने से रोकती है और स्वास्थ्य को अच्छा रखती हैं।

● **असमय बुढ़ापा :–** आज ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपनी व्यस्त दिनचर्या के चलते स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते हैं और समय से पहले ही बुढ़ापे का शिकार हो जाते हैं। अक्सर माना जाता है कि अवसाद या डिप्रेशन इंसान को मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर बना देता है लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि इन समस्याओं के साथ ही अवसाद बुढ़ापा भी जल्दी लाता है। क्रोध, चिंता, तनाव, भय, घबराहट आदि बुढ़ापे को न्यौता देते हैं। इसलिए हमेशा प्रसन्नचित रहने का प्रयास करें।

व्यस्त जीवनशैली के साथ स्वास्थ्य की देखभाल : –

● **जल्दी सोना और जल्दी जागना:–** वैसे कोशिश तो यही करनी चाहिए कि जल्दी रात को सोया जाए। कुछ लोगों को लेटते ही नींद आ जाती है लेकिन कुछ लोगों को रोज रात को जल्दी सोने में परेशानी होती है। विशेषज्ञ लोगों का मानना है कि रात को जल्दी सोने से तनाव कम होता है और रात को सोने से पहले किसी भी तरह के उपकरण जैसे मोबाइल, कंप्यूटर आदि का इस्तेमाल न करें। जल्दी उठने के कई फायदे होते हैं जैसे कि स्वच्छ हवा मिलती है, इंसान ज्यादा एक्टिव रहता है। सुबह के वक्त हमें समय मिलने के चलते हम अपने दिनभर के काम की प्लानिंग कर सकते हैं। कामकाज की प्लानिंग व्यक्ति को तनाव से दूर रखती है।

● **व्यायाम :–** अगर हम शारीरिक कार्य नहीं करते हैं तो जरूरी हो जाता है कि हम व्यायाम करें। व्यायाम से हम स्वस्थ और नीरोगी रहते हैं। मोटापे जैसी समस्याओं का निदान योगा या व्यायाम ही है। व्यायाम करने से तनाव और डिप्रेशन के साथ ही अन्य मानसिक समस्याएं खत्म हो जाती हैं।

इसके अलावा यह शरीर में ऊर्जा के स्तर को बढ़ाकर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मददगार होता है। आज कोविड–19 जैसी महामारी के दौर में सभी विशेषज्ञ तथा डॉक्टर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने पर ज़ोर दे रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री तक ने अपने संबोधन में इस पर बल दिया है। जिन बीमारियों का कोई इलाज़ नहीं है, उनका इलाज़ भी योगा और व्यायाम से संभव हुआ है। व्यायाम करने से स्टेमिना बढ़ता है। परिणामस्वरूप हम अपना कार्य बेहतर और अच्छी तरह से कर पाते हैं। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि व्यायाम हमारी दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए।

अगर हम नियमित रूप से व्यायाम आदि करते हैं तो हमें डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें कोई फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। किसी दवाई, इंजेक्शन या सीरप लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत कुछ बचाया जा सकता है।

आज के युग में लोग रोगों से कम और दवाइयों के कारण अधिक मर रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि मनुष्य को दवाइयों से नहीं, बल्कि व्यायाम और योगा करके अपने आप को मजबूत बनाना होगा। आज के जीवन में व्यक्ति इतना व्यस्त हो गया है कि अपने शरीर और

स्वस्थता का ध्यान नहीं रख पाता है और कई बीमारियों का शिकार हो जाता है। आज चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत तरक्की हो चुकी है फिर भी हम बिना बीमार पड़े स्वास्थ्य परीक्षण नहीं करवाते हैं। हममें से न जाने कई को तो अपने ब्लड ग्रुप का भी पता नहीं है। व्यक्ति को कम से कम आज के दौर को देखते हुए रक्तचाप, डायबिटीज़ और खून की जांच अवश्य करवानी चाहिए। वर्तमान स्थिति में हम देख रहे हैं कि देश और दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है, लेकिन इसके अधिकांश सर्वे में पाया गया है कि जिन देशों के लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक थी, वहाँ कोरोना महामारी का असर कम पाया गया है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि वहाँ के लोगों का खान–पान और दिनचर्या सही थी। जिन देशों के लोगों का खान–पान और जीवन शैली अच्छी होती थी, उन्हीं देशों के लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक होती है।

धर्मेंद्र मीणा
बैंक ऑफ इंडिया, आंचलिक कार्यालय, रत्नागिरी

ये वक्त भी गुजर जाएगा

तंदुरुस्त ही तो रहता था पहले दोस्त मेरा
दफ्तर जाता था, हर इतवार को जश्न मनाता था ।
जरा सा खाँसने क्या लगा
कि मालूम नहीं जाने क्या होने लगा था ।।
लौट आता हूँ अस्पताल से, पिछली दफा कह गया
बस वही दिन उसका आखिरी दीदार बन रह गया ।
दो दिन बाद तो खबर उसकी मौत की आई
कि मालूम नहीं हसीन ज़िंदगी खून के आँसू क्यों रोई ।।
अभी तक पता नहीं किसने उसे जलाया होगा
या गिद्धों ने नोंचकर मांस को, पेट अपना भर लिया होगा ।
ढके हुए चेहरों से इन्सानों को अब हम भी पहचानने लगे थे
सभी से कहे – सुने हर नुस्खे को आजमा रहे थे ।
थालियों पर चम्मच से गहरे घाव हमने भी लगाए थे
छत पर आतंक मचाते अंधेरे हमने भी उजालों से सजाए थे ।।
खबरों को पढ़ते–सुनते अजीब खौफ़ से सहमा हुआ दिल
एक छत और चार दीवारों के अंदर भी रहती है मीलों की दूरी
अनजान सी दुनिया इससे पहले, अज्ञानता में मगन थी सारी ।
सुनसान सड़कें, बंद दुकानें, पड़ौसियों को आँखें चुराते देखा है
हमने बंद गलियों के शेरों को बंद कमरों में दुम हिलाते और
कुत्तों को खुली राहों पर शेर बने घूमते देखा है ।।
एक कोयल चहक जाती है हर सुबह खिड़की में बैठे हुए
खुले आसमान में उड़ान भरने की उम्मीद को जिंदा रखे हुए ।
सुना है सदियों बाद दिखाई पड़ी है गोद हिमालय की हिमाचल से
कीमत मगर इसकी चुकाई है बच्चे ने जुदा होके माँ के आँचल से ।।
साँस तो जरूर दिखती है सफ़ेद और खाकी वदी की आँखों में
कि गिर जाएगी ये सारी दीवारें मायूसी की
उठ जाएगा सब धुआँ जो आँखों में चुभन बना बैठा है
फिर सजेंगे सहरे मेहमान–नवाजी के, माथे पर गुमनामी के ।।
अपनों को खोने वाले बस सँभल जाए इस घड़ी से कुछ सीख लिए
यही सिर्फ बेहतर होगा आने वाली नस्लों के लिए ।
हाँ रंगमंच वाली इस दुनिया पर कहाँ देर तक पर्दा गिरा रह पाएगा
नकाबपोश आफतों को बेनकाब कर फिर से हसीन मोड़ आएगा ।
अब रफ्तार भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी
भँवरे मंडराने लगेंगे, बगीचों में फिर हरियाली जमेगी
खुली हवा में जल्द ही सुकून की सांस मिलेगी ।।
उलझनें, उल्फतें, आफतों का दौर तो पहले भी कभी था
गर वो दौर चला गया, तो ये दौर भी जाएगा
वो वक्त भी गुज़रा है तो ये वक्त भी गुज़र जाएगा ।

सूरज महादेव माने
बैंक ऑफ इंडिया, मारुति मंदिर शाखा, रत्नागिरी

संविधान व सामाजिक न्याय

मनुष्य हा समाजशील व समाजप्रिय प्राणी आहे. मनुष्य समूहात म्हणजेच कुटुंबात, मित्रमंडळीत राहतो व हा समूह मनुष्याला काही प्रमाणात सुरक्षा देत असतो. समूह किवा समाज त्यांचे हिताचे काही निर्णय घेत असतात व ते सर्वांना लागू करतात. विशिष्ट व्यक्तिला असे काही निर्णय मान्य नसले तर व्यक्ति व समूह ह्यांचेत तणावाचे वातावरण निर्माण होते. अशा प्रकारचे तणावाचे क्षण कमी यावेत व समुहामध्ये वैचारिक नात्यात संतुलन यावे ह्यासाठी विशिष्ट प्रयत्न केले गेले व ह्या प्रयत्नांना शासन दरबारी पाठिंबा व निर्णयाचे पाठबळ मिळाले. समाज मिळूनच राष्ट्र बनते. राष्ट्रात राहणार्या व्यक्तींमध्ये संबंध व व्यवहार सुरळीत रहावेत ह्यासाठी शासन व्यवस्थेने काही निर्णय घ्यावेत अशी आपण अपेक्षा करतो म्हणजेच शासन व्यवस्थेला आपण मान्यताच देतो. अशा मान्यतेने शासन व्यवस्थेचे महत्व वाढत असते. आपल्या मागण्यासाठी जेव्हा लोक शासन व्यवस्थेकडे आंदोलन किवा तत्सम प्रतिक्रिया व्यक्त करतात त्यावेळी मागण्या पूर्ण करतानाच शासन व्यवस्थाही मजबूत व ताकदवान बनते. ती निरंकुश व बेलगाम होवू नये व त्यांचेद्वारे घेतलेले निर्णय सर्वसामान्य जनतेच्या हितासाठी तसेच त्यांचे अधिकार व स्वातंत्र्य टिकून राहील ह्या दृष्टीने घेतलेले असावेत ह्याची काळजी घेण्याचे काम संविधान करते. म्हणजेच संविधान सर्वसामान्य जनतेचे अधिकार व स्वातंत्र्य अबाधित राखण्याचे व शासन व्यवस्थेवर अंकुश ठेवण्याचे काम करते.

भारतातील संविधान निर्मिती :–

भारत हा खंडप्राय देश आहे. ह्या देशात विविध जाती–धर्माचे, बहुभाषिक, बहुप्रांतीय व बहुसंस्कृतीचे लोक राहतात. ह्या देशात सर्वसमावेशक असे संविधान २६ नोवेंबर १९४९ रोजी संमत झाले आणि २६ जानेवारी १९५० पासून प्रत्यक्ष अंमलात आले. असे असले तरी हे संविधान पूर्ण करणेचे प्रक्रियेस जवळपास ३ वर्षाचा कालावधी लागला. १९४६ साली संविधान सभेसाठी निवडलेल्या ३८३ सभासदांची पहिली बैठक ९ डिसेंबर १९४६ रोजी दिल्लीत झाली. ह्या सभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद हे होते. संविधांनाचा मसुदा तयार करणेसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ह्यांचे अध्यक्षतेखाली घटना मसुदा समिति २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्थापन करणेत आली. घटना मसुदा समितीने तयार केलेल्या घटनेचा मसुदा जनतेच्या महितीसाठी व जनतेकडून सूचना मागविणेसाठी प्रसिद्ध करणेत आला. ४ नोव्हेंबर १९४७ ते २६ नोव्हेंबर १९४९ ह्या प्रदीर्घ कलावधीत संविधान समितीने जनतेकडून आलेल्या सुचनांवर तसेच घटनेच्या मसुद्यावर चर्चा केली. घटना मसुदा समितीतील काही सभासदांचे आजारपण, परदेश वास्तव्य व मृत्यू ह्या घटनामुळे संविधान निर्मितेचे ह्या कार्यामध्ये डॉ बाबासाहेब आंबेडकर ह्यांचेवर फार महत्वपूर्ण जबाबदारी येवून पडली. संविधान सभेत सदस्यांनी केलेल्या विविध सूचना कायदेशीर भाषेत व सर्वमान्य अशा पददतीने शब्दबद्द करणे तसेच चर्चेतील मुद्द्याबाबत इतर देशांच्या संविधांनमध्ये असलेल्या तरतुदी सदस्यांच्या महितीसाठी प्रस्तुत करणे ह्या जबाबदाऱ्या डॉ बाबासाहेब आंबेडकरानी यशस्वीरीत्या सांभाळल्या व पार पाडल्या. विविध सामाजिक घटकांचे आग्रही प्रतिनिधित्व करणारे संविधान सभेचे सदस्य व त्यांच्या परस्परविरोधी मतमतांतरातून सर्व भारतीयांना सन्मानाची हमी आणि विकासाची संधी देणारे संविधान सार्वमताने बनविले गेले. ह्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि संविधान सभेचे सर्व सदस्य ह्यांचे आपण सदैव ऋणी राहिले पाहिजे.

संविधांनाआधीची भारतातील परिस्थिति :–

ब्रिटिश भारतात आल्यानंतरच भारतातील जनतेला आपण भारतीय आहोत व कायद्याचे राज्य असते ही संकल्पना खरी वाटायला लागली होती. ब्रिटिश राजवटीतील कायदे सर्व भारतीयांना समान न्याय देत नव्हते तसेच ब्रिटिश व भारतीय नागरिक ह्यांचेत भेदभावही करीत होते. त्याप्रमाणे ब्रिटिशांची राजवट भारतीय शोषणास बळ देणारीही होती. ब्रिटीशांचे पूर्वी भारतात राजे व संस्थानिक ह्यांचे राज्य होते व त्यांचे लक्ष प्रामुख्याने कर व सारा वसूल करणेपुरतेच जनतेकडे असायचे. हे राजे–संस्थानिक पुरोहितांच्या मान्यतेने राज्यकारभार करायचे. त्यामुळे पुरोहितशाहितून आलेल्या धर्म संकल्पना व परंपरा ह्यांचा समाज जीवनावर प्रभाव होता. ह्या संकल्पना व परंपरा माणसा–माणसात , जाती–जातीत व स्त्री–पुरुष ह्यांचेत भेदभाव करणाऱ्या होत्या. त्याकाळी मान्यताप्राप्त असलेले धर्मग्रंथ विषमतेचा पुरस्कार करणारे होते. जातीवरून शिक्षण कोणी घ्यायचे हे ठरविणारे होते. सावित्रीबाई फुले महिलांसाठी शाळा सुरू करीत असताना त्यांना तीव्र विरोध करणारी पुरोहितशाही धर्माचा व जातीचा दाखला देत होते. एकाच गुन्ह्यसाठी दिली जाणारी शिक्षा जातीच्या निकषावर ठरत होती. सरंजामदार व पूरोहित ह्यांचे संगनमताने चालविल्या जाणाऱ्या त्या काळात व्यक्तिस्वातंत्र्य, कायद्यापुढे सर्व समान, सर्वांना समान संधी ही मूल्येच अस्तित्वात नसल्यासारखी परिस्थिति होती. ह्या पार्श्वभूमीवर प्रौढ नागरिकांना मतदानाचा अधिकार देणारे, कायद्यापुढे सर्व समान मानणारे, जन्माच्या आधारे भेदभावास मनाई करणारे, सर्वांना समान संधी असे मानणारे ,विषमता दूर करण्यासाठी सज्यव्यवस्थेवर जबाबदारी टाकणारे, अल्पसंख्याकांना व बहुसख्यांककाना साधन संपत्तिच्या वाटपाबद्दल हित जोपासणारे व सर्वांना उपजीविकेचा अधिकार देणाऱ्या भारतीय संविधानाची महती व महत्व तेवढेच अनन्यसाधारण आहे.

संविधनाचे प्रास्ताविक :–

संविधांनाइतकेच संविधनाचे प्रास्ताविक महत्वाचे आहे. संविधनाचे प्रास्ताविक सार्वभौम भारताची भाषा करते. म्हणजेच ब्रिटिश निघून गेल्यानंतर आमच्या भवितव्याची जबाबदारी आमची आहे व त्यासाठीचे निर्णय आम्हीच लोकशाही पद्धतीने घेणार आहोत अशा प्रकारची विचारसरणी त्यातून व्यक्त होते. परंतु प्रत्यक्षात मात्र संविधांनातील ह्या तरतुदीची काही प्रमाणात पायमल्ली होवून काही धनदांडगे सरकारवर प्रभाव टाकून आपल्याला हवे तसे निर्णय घ्यायला लावतात, हे काही प्रमाणात खरे असले तरी त्यामुळे देशाचे सार्वभौमत्व बिघडत नाही. सजग जनता हाच त्यावरील रामबाण उपाय आहे. संविधानात समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व लोकशाही गणराज्य बनविण्याचा संकल्प आहे. काही लोक आक्षेप घेतात कि, धर्मनिरपेक्षता व समाजवाद हे शब्द मूळ संविधानाच्या प्रस्ताविकीत नव्हते तर इंदिरा गांधीच्या काळात हे शब्द संविधानाच्या प्रस्ताविकेत घुसडले गेले. हे सर्वार्थाने खरे नाही. तर संविधानाच्या ४२ व्या घटना दुरुस्तीने कायदेशीर प्रक्रिया राबवून हे दोन शब्द प्रस्ताविकेत आले आहेत. इंदिरा गांधींनी स्वत:च्या संरक्षणासाठी ४२ व्या घटना दुरुस्तीद्वारे काही बदल मंजूर करून घेतले जे नंतर जनता सरकारने काही प्रमाणात निरस्त केले. परंतु प्रस्ताविकेतील समाजवाद व धर्मनिरपेक्षता हे शब्द मात्र तसेच राहू दिले. संविधांनातील अनेक कलमे समाजवाद व धर्मनिरपेक्षता हा आशय सांगणारी आहेत. भारतीय संविधानाचे प्रस्ताविकेत "संधीची समानता" हा महत्वपूर्ण शब्द वापरला आहे. भारतीय संविधानाने सर्वांना केवळ जगण्याची नव्हे तर सन्मानाने जगण्याची हमी दिली आहे. सन्मानाने जगण्याची हमी प्रत्यक्षात खरी उतरविण्यासाठी भारतीय समाजामध्ये वाढता गरीब–श्रीमंत भेद, जन्माचे आधारे उच्च–नीचता ठरविणारा जातिभेद व महिलांकडे बघण्याचा पुरुषी दृष्टीकोण ह्यामध्ये शासनाने व समाजानेही बरेच काही करणे गरजेचे आहे. संविधानाचे प्रस्ताविकेत स्वातंत्र्य, समता व बंधुता ह्या तत्वांचा मुलत: विचार आहे. स्वातंर्त्य, समता व बंधुता ही एकमेकांना पूरक असून तीनही तत्वांचा ताळमेळ राहिला तरच समाजामध्ये सर्वांना सामाजिक न्याय व सर्वांना समान संधी अस्तीत्वात राहतील व त्यांचा फायदा सर्वांनाच होईल. निव्वळ स्वातंत्र्य व समता ह्यांचा अंगीकार केला व बंधुतेचा अभाव राहिला तर त्या स्वातंत्र्याचा उपभोग फक्त शक्तीशाली व्यक्ति किवा समाज ह्यांनाच होईल. दुबळे व उच्च–निचतेच्या व्यवस्थेतील तळागाळातील लोक स्वातंत्र्य व समता ह्या तत्वांच्या उपभोगापासून दूर राहतील.म्हणूनच समाजात व व्यवस्थेत स्वातंत्र्य, समता ह्याचे बरोबरीनेच बंधुत्वाचा अंगीकार व अंमलबाजवणी व्हायला हवी. संविधानाने देशातील सर्व घटकांना हेच बहाल केले आहे व देशाच्या सार्वभौमत्वासाठी त्याचा फायदा सर्वांनाच मिळाला पाहिजे.

संविधानाने भारतीयांना दिलेले मूलभूत अधिकार :

संविधानाचे भाग तीन मधील कलम १२ ते कलम ३५ मध्ये भारतीय नागरिकांचे मूलभूत अधिकारांचा तपशील दिला आहे.

- कायद्यापुढे समानता (कलम १४)
- धर्म, वंश, जात, लिंग, किवा जन्मस्थान ह्यावरून नागरिकांमध्ये भेदभाव करनेस मनाई. आर्थिक व सामाजिक विषमतेचे बळी पडलेले महिला, बालके, ओबीसी ,एससी ,एसटी ह्यांचे कल्याणसाठी विशेष तरतूद करण्यास प्रतिबंध असणार नाही (कलम १५)
- सरकारी नोकऱ्यांमध्ये सर्वांना समान संधी. मात्र मागासवर्ग, अनुसूचीत जाती आणि जमार्तीना राज्याच्या नियंत्रणाखालील सेवामध्ये पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळाले नसल्यास त्याच्यासाठी पदे राखून देवण्याची तरतूद करनेस राज्यास प्रतिबंध होणार नाही (कलम १६)
- अस्पृश्यता नष्ट करणे (कलम १७)
- भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य (कलम–१९)
- अपराधाबद्दलच्या दोष सिद्धीबाबत सरंक्षण (कलम–२०)
- जीवित व व्यक्तीगत स्वातंत्र्य ह्यांचे सरंक्षण (कलम–२१)
- शिक्षणाचा हक्क (कलम–२१क)
- विवक्षित प्रकरणी अटक व स्थांनबद्धता ह्यापासून सरंक्षण (कलम–२२)
- माणसांचा व्यापार व वेठबिगारी ह्यांना मनाई (कलम–२३)
- सदविवेकबुद्धीचे स्वातंर्त्य व धर्माचे मुक्त प्रकटीकरण, आचरण व प्रसाराचे स्वातंर्त्य (कलम–२५)
- कारखाने इत्यादीमध्ये बालकांना कामास ठेवनेस मनाई (कलम–२४)
- अल्पसंख्याक वर्गाचे हिताचे सरंक्षण (कलम–२९)
- संपदाचे संपादन इत्यादीकरिता तरतूद(कलम ३१क)

हे काही मूलभूत अधिकार भारतीय संविधानाने नागरिकांना दिलेले आहेत व ते त्यांना जन्मापासूनच मिळतात. ह्या अधिकारांपासून जर कोणी त्यांना वंचित ठेवीत असेल तर त्याविरुद्ध दाद मागण्याचा नागरिकांना अधिकार आहे. संविधानाने आपणास सर्वांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, संचार स्वातंत्र्य , व्यवसाय स्वातंर्त्य दिले आहे. सन्मानाने जगण्याचा अधिकार दिला आहे. संविधान आपणा सर्वांसाठी आहे, हे महत्वाचे आहे.

राज्य धोरणांची निदेशक तत्वे : संविधनाचे भाग चार मध्ये राज्य धोरणांची निदेशक तत्वे दिली आहेत. संविधान कर्त्यांनी आवर्जून म्हटले आहे कि, ही निदेशक तत्वे न्यायालयाकडून अमलबजावणीस योग्य

असणार नाहीत. परंतु त्यात घालून दिलेली तत्वे देशाच्या शासन व्यवहारासाठी मूलभूत आहेत व कायदे करताना ही तत्वे अमलात आणणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. शासनाने ही तत्वे कायद्याद्वारे अमलात आणावी, असा प्रयत्न संविधानकर्त्यांनी केला आहे. ही कलमे खालीलप्रमाणे आहेत :

• राज्याने लोक कल्याणाच्या संवर्धनासाठी समाजवाद प्रस्थापित करणे.

• राज्य शक्य तितक्या परिणामकारकरीत्या सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्यायाची अमलबजावणी करील व लोक कल्याणसाठी राज्य सतत प्रयत्नशील राहील.

• राज्य समाजातील वेगवेगळ्या घटकांचे उत्पन्नातील विषमता तसेच संधी व सुविधा ह्यामधील विषमताही दूर करण्यासाठी प्रयत्न करील.

• स्त्री व पुरुष दोघांनाही उपजीविकेचे साधन मिळविण्याचा अधिकार राहील.

• सामूहिक हिताला उपकारक अशा रीतीने समाजाच्या भौतिक साधनसंपत्तीचे स्वामित्व व नियंत्रण ह्याची विभागणी व्हावी.

• संपत्ति व उत्पादन साधंनांचा संचय सामूहिक हितास बाधक अशा एकाच ठिकाणी होवू नये.

• पुरुष व स्त्रिया ह्यांना समान कामासाठी समान वेतन मिळावे.

• स्त्री पुरुष कामगारांचे आरोग्य व ताकद व बालकांचे कोवळे वय ह्यांचा दुरुपयोग घेतला जावू नये. आर्थिक गरजेपोटी कोणालाही त्यांचे वय व ताकद ह्यांना न पेलवणारा व्यवसाय करावा लागू नये.

• बालकांना मुक्त व प्रतिष्ठापूर्ण वातावरणात विकासाची संधी व सुविधा मिळावी. त्यांना शोषनापासून तसेच नैतिक–भौतिक गरजांच्या उपेक्षेपासून सरंक्षण मिळावे.

• समान संधीच्या तत्वावर न्यायाची वाढ व्हावी व आर्थिक किंवा अन्य अडचणीमुळे कुणालाही न्याय नाकारला जाणार नाही ह्याची खात्री असावी.

• कामाचा, शिक्षणाचा व आवश्यक तेव्हा सहाय्याचा हक्क नागरिकांना असेल.

नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये : –

संविधानाचे भाग चार मध्ये नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये दिली आहेत.

• संविधानाचे पालन करणे व त्याचे आदर्श व संस्था , राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगीत ह्यांचा आदर करणे.

• ज्यामुळे आपल्या स्वातंत्र्य लढ्यास स्फूर्ति मिळाली, त्या उदात्त आदर्शांची जोपासना करून त्यांचे अंनुस्मरण करणे.

• भारताची सार्वभौमत्व, एकता व एकात्मता उन्नत ठेवणे व त्यांचे संरक्षण करणे.

• देशाचे संरक्षण करणे व आवाहन केले जाईल तेव्हा राष्ट्रीय सेवा बजावणे.

• धार्मिक, भाषिक व प्रादेशिक किंवा वर्गीय भेदाच्या पलीकडे जावून भारतातील सर्वे जनतेमध्ये सामंजस्य व बंधुभाव वाढीला लावणे. स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला उणेपणा आणण्याच्या प्रथांचा त्याग करणे.

• आपल्या संमिश्र संस्कृतीच्या समृद्ध वारशाचे मोल जाणून तो जतन करणे.

• वने, सरोवरे, नद्या व वन्य जीवसृष्टि यासह नैसर्गिक पर्यावरणाचे रक्षण करून त्यात सुधारणा करणे आणि प्राणिमात्राबद्दल दयाबुद्धी बाळगणे.

• विज्ञाननिष्ठ दृष्टीकोण, मानवतावाद, आणि शोधकबुद्धी तसेच सुधारणवाद ह्यांचा विकास करणे.

• सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण करणे व हिंसाचाराचा निग्रहपूर्वक त्याग करणे.

• राष्ट्र सातत्याने उपक्रम व सिद्धि ह्यांच्या चढत्या श्रेणी गाठत जाईल अशा प्रकारे व्यक्तीगत व सामुदायिक स्वरुपाच्या सर्व कार्यक्षेत्रात पराकोटीचे यश संपादन करनेस झटणे.

• मातापित्याने किंवा पालकाने सहा ते चौदा वर्षादरम्यानचे आपले अपत्य किंवा पाल्य ह्याला यथास्थिती शिक्षणाच्या संधी देणे.

संविधानात नमूद केलेली प्रत्येक भारतीय नागरिकाची वरील कर्तव्ये आहेत.

सारांश :– भारतीय संविधानाने संसदीय लोकशाहीचा अंगीकार केला आहे. ग्रामपातळीपासून ते देशाच्या सर्वोच्च ठिकानापर्यंत मतदार आपले प्रतीनिधी निवडतात. हे प्रतीनिधी ५ वर्षे देशाच्या संसदेत मतदारांचे प्रतिनिधित्व करतात. सर्वसामान्य नागरिकांना त्यांचा प्रतीनिधी निवडण्याचा व त्यांचे माध्यमातून संविधानाने त्यांना बहाल केलेले अधिकार जोपासले जाण्याचा हक्क आहे. हा मूलभूत अधिकार बजावताना प्रत्येक नागरिकाने सजग राहिले तरच संविधानाने त्यांना बहाल केलेले स्वातंत्र्य व अधिकार त्याना उपभोगता येईल. त्यासाठी प्रत्येक नागरिकाला संविधानाने बहाल केलेले अधिकार व त्याचेबरोबरच कर्तव्ये ह्यांची पुरेपूर जाणीव व माहिती असणे गरजेचे आहे.

सुरेश कांबळे
प्रबंधक, आस्ति वसूली विभाग,
बैंक ऑफ इंडिया, आंचलिक कार्यालय, रत्नागिरी

झाडे लावा झाडे जगवा

''वृक्ष वल्ली आम्हा सोयरी वनचरी'' ''कांदा, मुळा, भाजी अवघी विठाई माझी.'' आपल्या संतांनी किती आत्मीयतेने निसर्ग व वृक्षांबद्दल लिहून ठेवले आहे. वृक्ष हे मानवी जीवनात अनन्य साधारण महत्त्व असलेल्या निसर्गाने दिलेले अमृत वरदान, एक जीवनछत्र आहे. अनादी काळापासून मानवी जीवनाचा अविभाज्य अंग असलेले, मावाच्या अध्यात्मिक जीवनात सतत साथ देणारे, सर्वांना उपयोगी पडणारे तसेच उपयुक्त असलेले वृक्ष हे केवळ मानवच नाही तर सर्व सजीवांचे जीवनदायी तत्त्व आहे.

वृक्ष आपल्या आयुष्यात बरीच उपयुक्तता वाढवते तसेच ताजी हवा व पौष्टिक आहार देऊन आपल्या राहणीमानात सुधारणा करते. वृक्ष आपल्या अतिरिक्त गरजा पुर्ण करतात जसे की छप्पर, औषधोपचार आणि आपल्या आधुनिक जीवन शैलीच्या इतर गरजा समाज, समुदाय, रस्ता, उद्यान, क्रिडांगणातील एक शांत वातावरण आणि सौंदर्यासाठी अनुकुल वातावरण देण्यास वृक्ष मोठी भूमिका बजावतात. वृक्ष शुध्द ऑक्सिजन प्रदान करतात व घातक वायूंचे शुध्दीकरण करुन वायू प्रदुषण कमी करतो. वृक्ष सुर्यप्रकाशात बदल करण्यास मदत करुन उष्णता कमी व वातावरण स्वच्छ व थंड ठेवतात. वृक्ष पाण्याचे बाष्पीभवन वाचवून पाण्याचे संवर्धन करण्यात मदत करते तसेच मृदाचे क्षरण होण्यापासून संरक्षण करते. निसर्गाच्या पर्यावरणाला संतुलित ठेवण्यासाठी झाडे फार महत्वाची आहेत. वन्य प्राण्यांसाठी झाडे हा अन्न आणि सावलीचा चांगला स्त्रोत आहे. पक्षी झाडांच्या फांद्यांवर आपले घरटे तयार करतात. झाडे बऱ्याच लोकांच्या अर्थव्यवस्थेचे साधन आहेत कारण ते इंधन, घर बांधणी, साधने, फर्निचर, क्रिडा इत्यादी व्यवसायात वापरतात. आपल्या पृथ्वीवरील झाडांना हिरवे सोने आणि निरोगी जीवनासाठी अत्यंत महत्वाचे का म्हटले आहे हे आपल्याला कळले असेलच.

आता पृथ्वीवर प्रचंड लोकसंख्या झाली आहे. अस्तित्वाच्या लढाईत एक प्रजाती दुसऱ्या प्रजातीवर हल्ला चढवीत आहेत. आणि ''बळी तो कान पिळी'' हया न्यायाने मनुष्य जात सगळयांवर पुरुन उरते आहे. मनुष्य हा असा एकच प्राणी आहे जो गरज नसतांना दुसऱ्या प्राण्याचा जीव घेतो. मग झाडे तर बिचारी मुकी असतात. आता पर्यंत आपण झाडांना पाने, फुले व फळांसाठी ओरबाडत होतो. आता प्रत्येकाला स्वतःचे घर हवे आहे. त्यामुळे मानव बेसुमार जंगलतोड करीत आहे. स्वार्थाने मानव इतका आंधळा झाला आहे की ही झाडे तोडताना आपणच आपल्या पायावर कुऱ्हाड मारुन घेत आहोत हे त्याला कळतच नाही. आज सगळीकडची हिरवळ नष्ट होऊन सीमेंटचे जंगल उभे राहिले आहे. त्यामुळे वातावरणातील प्राणवायू विरळ झाला आहे. त्यातून २०–२५ मजली टोलेजंग इमारतींमुळे मोकळी हवा राहिली नाही आहे. रणरण उन्हामध्ये आता सावलीचा कवडसा पण राहिला नाही. मानव शंभर–दोनशे वर्षांची मोठी मोठी झाडे निर्दयतेने तोडीत आहे. व भविष्यात त्याची काय किंमत मोजावी लागेल हयाचा कोणीही विचार करीत नाही. हयाचे घोर परिणाम आता हळूहळू दिसायला लागले आहेत. गेली काही वर्षे काही ठिकाणी आपल्या अतिवृष्टी व काही ठिकाणी दुष्काळाला तोंड द्यावे लागले आहे. आपला देश हा कृषिप्रधान देश आहे आणि शेती पावसावरच अवलंबून आहे. जर शेतीला पूरक असा पाऊस झाला नाही तर? शेतात धान्य उगवणार कसे? प्यायला पाणी कुठून आणणार? कारखाने वीज कुठून मिळवणार? पाणी हे जीवन आहे तेच नष्ट होणार? कशामुळे झाले हे? आपली घोडचूक हया अवस्थेला कारणीभूत आहे. पर्वत राशींवर असलेल्या झाडांमुळे ढगांचा अटकाव होऊन पाऊस पडतो. समुद्र किनाऱ्यालगतची तिवरांची झाडे खाडीच्या भरतीच्या पाण्याला अटकाव करतात. ती तोडून मानवाने तिथे इमारती बांधल्या आहेत. पण तिवरांचे जंगल नष्ट केल्याने खाडीतील भरतीच्या पाण्याचा अटकाव होत नाही व पाणी वस्तीत शिरते. काही वर्षात आलेल्या पुरांवरुन ते आपल्याला समजते. निसर्ग आपल्या धोक्याची जाणीव करुन देत आहे, पण एकदा आपण ती पातळी ओलांडली की समस्त मनुष्यजातीस कोणीच वाचवू शकणार नाही. या सगळयाची कल्पना येताच, सरकार आणि समाजसेवी संस्थांनी वृक्ष संवर्धन मोहीम चालू करुन जनजागृती केली. ठिकठिकाणी पोस्टर, ढ्त वर जाहीराती, शाळांमध्ये प्रचार अशा सर्व तऱ्हेने जनजागृती केली. परिणामी लोकांना वृक्ष संवर्धनाचे महत्त्व पटले आहे. आता सर्वजण आपल्या परिसरात झाडे लावीत आहेत. सरकार पण सामाजिक कार्याची सुरुवात वृक्षारोपणाने करीत आहेत आणि ती झाडे जगवण्याचे कंत्राट दिले जात आहे. काही निष्ठावंत लोक स्वतः पाण्याच्या बाटल्या घेऊन डोंगरावर झाडे लावून ती वाढवत आहेत. सगळे आपापल्या परीने मोहीमेत सामील झाले आहेत. हे एक आशादायी चित्र आहे. आता सरकार पण बांधकामाची परवानगी देताना झाडे लावण्याची सक्ती तसेच आहे त्या झाडांचे नुकसान होणार नाही हे बघून परवानगी देते. चला तर मग आपण पण शपथ घेऊया, झाडे लावूया, झाडे जगवूया आणि आपली सुजलाम सुफलाम सश्य श्यामला भूमीला तिचे जुने वैभव प्राप्त करुन देऊया.

संकेत संजय सकपाळ,
बैंक ऑफ इंडिया, आंचलिक कार्यालय, रत्नागिरी

हिन्दी पखवाड़ा 2020 के अंतर्गत सदस्य कार्यालयों के स्टाफ सदस्यों के लिए

गूगल फॉर्म पर आयोजित

"ऑनलाइन संविधान ज्ञान प्रतियोगिता"

अपना ज्ञान बढ़ाएँ

1) राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है ?

i. 5 वर्ष
ii. 3 वर्ष
iii. 4 वर्ष
iv. 6 वर्ष

2) भारत का संविधान कब लागू हुआ ?

i. 26 जनवरी 1947
ii. 26 जनवरी 1948
iii. 26 जनवरी 1949
iv. 26 जनवरी 1950

3) भारतीय संसद का ऊपरी सदन किसे कहा जाता है ?

i. लोक सभा
ii. राज्य सभा
iii. विधान मण्डल
iv. मंत्रिमंडल

4) राष्ट्रपति राज्य सभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है ?

I 12
ii. 15
iii. 14
iv. 2

5) भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है ?

I राष्ट्रपति
ii. प्रधानमंत्री
iii. मंत्रिमंडल
iv. इन सभी में

6) संविधान सभा की प्रथम बैठक कब सम्पन्न हुई ?

i. 9 दिसंबर 1946
ii. 11 दिसंबर 1946
iii. 13 दिसंबर 1946
iv. 21 दिसंबर 1946

7) संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है ?

i. जापान
ii. रूस
iii. अमेरिका
iv. इंग्लैंड

8) अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा दोनों है । ऐसा किसने कहा ?

i. महात्मा गांधी
ii. जवाहरलाल नेहरू
iii. डॉ. भीमराव अंबेडकर
iv. डॉ. राजेंद्र प्रसाद

9) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है ?

i. 58 वर्ष की आयु पूरी होने तक
ii. 60 वर्ष की आयु पूरी होने तक
iii. 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक
iv. 70 वर्ष की आयु पूरी होने तक

10) भारत कब गणतन्त्र बना ?

i. 15 अगस्त 1947
ii. 14 सितंबर 1949
iii. 26 जनवरी 1950
iv. 2 अक्टूबर 1951

11) संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है ?

i. अनुच्छेद 352
ii. अनुच्छेद 354
iii. अनुच्छेद 356
iv. अनुच्छेद 360

12) संविधान सभा के अध्यक्ष थे ?

i. डॉ. भीमराव अंबेडकर
ii. डॉ. राजेंद्र प्रसाद
iii. डॉ. सच्चिदानंद शर्मा
iv. के.एम. मुंशी

13) संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ?

i. डॉ. भीमराव अंबेडकर
ii. डॉ. राजेंद्र प्रसाद
iii. डॉ. सच्चिदानंद शर्मा
iv. के.एम. मुंशी

14) संविधान सभा द्वारा किस तिथि को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया ?

i. 26 जनवरी 1950
ii. 15 अगस्त 1948
iii. 26 नवंबर 1949
iv. 27 नवंबर 1949

15) निम्नलिखित में से किसे 'लघु संविधान' कहा गया था?

i. भारत सरकार अधिनियम, 1935
ii. 42वां संविधान संशोधन
iii. 44वां संविधान संशोधन
iv. 50वां संविधान संशोधन

16) भारतीय संविधान में 'समवती सूची' का विचार किस देश के संविधान से लिया गया?

i. आयरलैंड
ii. कनाडा
iii. ऑस्ट्रेलिया
iv. जापान

17) भारतीय संविधान की कौनसी अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है?

i. पाँचवीं अनुसूची
ii. सातवीं अनुसूची
iii. आठवीं अनुसूची
iv. बारहवीं अनुसूची

18) राष्ट्रीय आपातकाल की दशा में कौन से मूल अधिकार स्वतः निरस्त नही होते हैं ?

i. अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकार
ii. अनुच्छेद 20 में प्रदत्त मूल अधिकार
iii. अनुच्छेद 21 में प्रदत्त मूल अधिकार
iv. अनुच्छेद 20 और 21 में प्रदत्त मूल अधिकार

19) मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे?

i. 390
ii. 391
iii. 394
iv. 395

20) संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस तरह का राष्ट्र है?

i. सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य
ii. सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य
iii. समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य
iv. सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य

21) किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है?

i. अनुच्छेद 20
ii. अनुच्छेद 21
iii. अनुच्छेद 21 (क)
iv. अनुच्छेद 22

22) लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है

i. मूल अधिकार
ii. राज्य के नीति निदेशक तत्व
iii. मूल कर्तव्य
iv. सर्वोच्च न्यायालय

23) भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के तहत किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का उपबंध किया गया है।

i. अनुच्छेद 14
ii. अनुच्छेद 16
iii. अनुच्छेद 18
iv. अनुच्छेद 20

24) 'भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में निष्पक्ष, पारदर्शी एवं सुरक्षित निर्वाचन के संकल्प की पूर्ति में लगातार प्रयासरत है।' रिक्त स्थान की पूर्ति करें

i. विधान सभाएं
ii. राज्य मंत्रिमंडल
iii. निर्वाचन आयोग
iv. उच्च न्यायालय

25) भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है –

i. सेना प्रमुख
ii. राष्ट्रपति
iii. प्रधानमंत्री
iv. रक्षामंत्री

26) भारत के सर्वोच्च न्यायालय में हालिया बढ़ोत्तरी के बाद न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है?

i. 34 (1 मुख्य न्यायाधीश एवं 33 अन्य न्यायाधीश)
ii. 31 (1 मुख्य न्यायाधीश एवं 30 अन्य न्यायाधीश)
iii. 32 (1 मुख्य न्यायाधीश एवं 31 अन्य न्यायाधीश)
iv. 33 (1 मुख्य न्यायाधीश एवं 32 अन्य न्यायाधीश)

27) किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है

i. कलकता उच्च न्यायालय
ii. बंबई उच्च न्यायालय
iii. मद्रास उच्च न्यायालय
iv. गुवाहाटी उच्च न्यायालय

28) 73 वां संविधान संशोधन संबंधित है –

i. नगरपालिका से
ii. शिक्षा के मौलिक अधिकार से
iii. काम के अधिकार से
iv. पंचायती राज से

29) भारत के संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक होता है?

i. **राष्ट्रपति**
ii. प्रधानमंत्री
iii. सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
iv. मुख्यमंत्री

30) यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो वह उक्त के संरक्षण के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकता है और अपने अधिकारों को लागू करने की मांग कर सकता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति संविधान के किस अनुच्छेद का हवाला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है?

i. अनुच्छेद 31
ii. अनुच्छेद 32
iii. अनुच्छेद 33
iv. अनुच्छेद 34

31) संसद द्वारा 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित किया गया। संसद को यह अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिला?

i. 343
ii. 344
iii. 345
iv. 346

32) संविधान के किस अनुच्छेद में भारत सरकार को हिन्दी भाषा के विकास के निदेश दिए गए हैं ?

i. अनुच्छेद 348
ii. अनुच्छेद 349
iii. अनुच्छेद 350
iv. अनुच्छेद 351

33) भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार थे ?

i. महात्मा गांधी
ii. डॉ. भीमराव अंबेडकर
iii. के.एम. मुंशी
iv. पं. जवाहरलाल नेहरू

34) भारत, अर्थात इंडिया, राज्यों का संघ होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है?

i. अनुच्छेद 1
ii. अनुच्छेद 2
iii. अनुच्छेद 3
iv. अनुच्छेद 4

35) भारतीय संसद किसके मिलने से बनती है ?

i. लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा

ii. लोकसभा, राज्यसभा द्वारा
iii. केवल लोकसभा द्वारा
iv. लोकसभा, राज्यसभा, सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रपति द्वारा

उत्तर यहाँ देखें

1) - i
2) - iv
3) - ii
4) - i
5) - i
6) - i
7) - ii
8) - iii
9) - iii
10) - iii
11) - iv
12) - ii
13) - i
14) - iii
15) - ii
16) - iii
17) - iii
18) - iv
19) - iv
20) - iv
21) - iii
22) - ii
23) - i
24) - iii
25) - ii
26) - i
27) - iv
28) - iv
29) - i
30) - ii
31) - i
32) - iv
33) - ii
34) - i
35) - i

हिन्दी पखवाड़ा 2020 के अंतर्गत सदस्य कार्यालयों के स्टाफ सदस्यों के लिए

गूगल फॉर्म पर आयोजित

"ऑनलाइन राजभाषा ज्ञान प्रतियोगिता"

अपना ज्ञान बढ़ाएँ

1) संविधान के अनुच्छेद 343 में हिन्दी को निम्न में से क्या कहा गया है ?

i. राष्ट्रभाषा
ii. राज्यभाषा
iii. राजभाषा
iv. प्रांतीय भाषा

2) भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार भारतीय तटरक्षक अवस्थान, रत्नागिरी द्वारा महाराष्ट्र सरकार के कार्यालयों से प्रत्येक तिमाही में जितना मूल पत्राचार होता है, उसका कितने प्रतिशत पत्राचार हिन्दी में किया जाना अनिवार्य है –

i. 100%
ii. 90%
iii. 75%
iv. उपरोक्त में से कोई नहीं

3) वर्तमान में संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाएँ हैं । निम्न में से कौनसी भाषा इस सूची में शामिल नहीं है –

i. उर्दू
ii. संस्कृत
iii. अंग्रेजी
iv. मराठी

4) प्रति वर्ष 14 सितंबर को हिन्दी दिवस क्यों मनाया जाता है ?

i. इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था
ii. इस दिन हिन्दी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था
iii. संसदीय राजभाषा समिति की सिफ़ारिशों पर राष्ट्रपति महोदय के आदेश हैं
iv. भारतीय जनता के निर्धारित किया है कि 14 सितंबर को ही हिन्दी दिवस मनाना चाहिए

5) रत्नागिरी नराकास के किसी भी सदस्य कार्यालय द्वारा 'कार्यालय आदेश' जारी किया जाना है । निम्न में से किस भाषा में उक्त कागजात जारी किया जाना अनिवार्य है –

i. केवल हिन्दी में
ii. केवल अंग्रेजी में
iii. हिन्दी–अंग्रेजी में
iv. मराठी–हिन्दी–अंग्रेजी में एक साथ

6) रत्नागिरी स्थित केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय को आयकर विभाग से किसी जानकारी के मामले में हिन्दी में पत्र प्राप्त होता है । केंद्रीय सरकार का वह कार्यालय उक्त पत्र का जवाब हिन्दी में न देकर अंग्रेजी में दे देता है । ऐसा कर उस कार्यालय द्वारा निम्न में से किस नियम का उल्लंघन किया जा रहा है –

i. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 3 का
ii. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 6 का
iii. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का
iv. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 4 का

7) भारत सरकार के कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन की नोडल एजेंसी राजभाषा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है । उक्त नोडल एजेंसी निम्न में से भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है –

i. गृह मंत्रालय
ii. वित्त मंत्रालय
iii. प्रधानमंत्री कार्यालय
iv. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

8) केंद्र सरकार के किसी कार्यालय/शाखा द्वारा कार्यालय/शाखा की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की प्रति तिमाही कुल कितनी बैठकें आयोजित की जानी अनिवार्य है –

I प्रत्येक महीने में एक बार तथा तिमाही में तीन बार
ii. कोई जरूरी नहीं कि प्रत्येक तिमाही में बैठक आयोजित हो ही, लेकिन वर्ष में 4 बैठक अवश्य की जानी चाहिए
iii. तिमाही में एक बार
iv. कितनी बैठक होगी, यह कार्यालय प्रमुख या शाखा प्रबंधक की इच्छा पर निर्भर करता है

9) केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा 'प्रबोध', 'प्रवीण' और

'प्राज्ञ' परीक्षाएँ आयोजित की जाती हैं। 'प्राज्ञ' परीक्षा का स्तर क्या है ?

i. 10 वीं कक्षा
ii. 8 वीं कक्षा
iii. 5 वीं कक्षा
iv. 12 वीं कक्षा

10) राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के तहत किस स्तर का हिन्दी का ज्ञान प्राप्त करने वाले स्टाफ को अपना सम्पूर्ण कामकाज हिन्दी में करने के लिए कार्यालय प्रमुख/शाखा प्रबंधक द्वारा व्यक्तिशः आदेश जारी किया जाता है –

i. हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त स्टाफ को
ii. जिसने 10 वीं कक्षा हिन्दी माध्यम से उत्तीर्ण की है
iii. जो निर्धारित प्रपत्र में यह घोषणा करता हो कि मैंने 8 वीं कक्षा तक हिन्दी का ज्ञान प्राप्त कर लिया है
iv. उपरोक्त तीनों विकल्प सही नहीं है

11) रत्नागिरी शहर में बैंक की शाखा के साइनबोर्ड में बैंक का नाम व शाखा का नाम तीन भाषाओं में होना अनिवार्य है । इन तीन भाषाओं का सही क्रम क्या होगा –

i. अंग्रेजी – हिन्दी – मराठी
ii. हिन्दी – मराठी – अंग्रेजी
iii. मराठी – हिन्दी – अंग्रेजी
iv. मराठी – अंग्रेजी – हिन्दी

12) राजभाषा नियम–10 के अनुसार कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त स्टाफ निम्न में से किसे नहीं माना जाएगा –

i. जिसने 10 वीं कक्षा में हिन्दी का एक विषय के रूप में अध्ययन किया है
ii. जिसने हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत 'प्राज्ञ' परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है
iii. जो निर्धारित प्रपत्र में यह घोषणा करता हो कि उसे हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है
iv. जो हिन्दी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद करने में निपुण हो

13) रत्नागिरी शहर में स्थित सभी बैंकों/वित्तीय संस्थानों में हिन्दी में टिप्पणी का प्रतिशत क्या है

i. 75%
ii. 50%
iii. 30%
iv. उपरोक्त में से कोई नहीं

14) विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है ?

i. 26 जनवरी
ii. 12 जनवरी
iii. 10 जनवरी
iv. 11 जनवरी

15) संसदीय राजभाषा समिति जिसमें लोक सभा से 20 और राज्य सभा से 10 सांसद होते हैं, की कौनसी उप समिति द्वारा बैंकों का राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी निरीक्षण किया जाता है –

i. प्रथम उप समिति
ii. द्वितीय उप समिति
iii. तृतीय उप समिति
iv. इनमें से कोई नहीं

16) निम्न में से कौनसी भाषाएँ देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं –

i. हिन्दी और उड़िया
ii. मराठी और अंग्रेजी
iii. अंग्रेजी और हिन्दी
iv. मराठी और हिन्दी

17) भारतीय संविधान के भाग–17 के अंतर्गत कितने अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान उपलब्धौ हैं ?

i. 8
ii. 9
iii. 10
iv. 11

18) हिन्दी तिमाही प्रगति रिपोर्ट का भाग–1 वित्त वर्ष की सभी तिमाहियों में भरा जाता है जबकि उक्त रिपोर्ट का भाग–2 किसी एक तिमाही में ही । वह कौनसी तिमाही है ?

i. जून तिमाही
ii. सितंबर तिमाही
iii. दिसंबर तिमाही
iv. मार्च तिमाही

19) अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए जाने चाहिए । तिमाही

प्रगति रिपोर्ट के अनुसार यह व्यवस्था किन क्षेत्रों पर लागू है –

i. 'क' और 'ख' क्षेत्र
ii. 'क' और 'ग' क्षेत्र
iii. 'ख' और 'ग' क्षेत्र
iv. 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्र

20) केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में एक वित्त वर्ष में कितनी हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना अनिवार्य है –

i. 2
ii. 3
iii. 4
iv. 5

21) रत्नागिरी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का संयोजक बैंक ऑफ इंडिया है । समिति की वर्ष में कुल कितनी बैठकें होती हैं –

i. 1
ii. 2
iii. 3
iv. 4

22) अपने से उच्च कार्यालयों को भेजी जाने वाली प्रशासनिक रिपोर्टें किस भाषा में होनी चाहिए

i. केवल हिन्दी में
ii. केवल अंग्रेजी में
iii. हिन्दी और अंग्रेजी में
iv. हिन्दी और मराठी में

23) राजभाषा अधिनियम और नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान की होती है । ऐसा प्रावधान राजभाषा नियम, 1976 के किस नियम में किया गया है ?

i. नियम–5
ii. नियम–7
iii. नियम–11
iv. नियम–12

24) केंद्र सरकार के कार्यालयों में प्रयोग में लिए जाने सभी रजिस्टरों के प्रस्त्र और शीर्षक किस भाषा में होने चाहिए –

i. हिन्दी में
ii. मराठी में
iii. अंग्रेजी में
iv. हिन्दी और अंग्रेजी में

25) सभी नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख यदि केवल हिन्दी अथवा केवल अंग्रेजी में मुद्रित या उत्कीर्ण करवाते हैं, तो राजभाषा नियम, 1976 के किस नियम का उल्लंघन करते हैं –

I नियम–8
ii. नियम–9
iii. नियम–10
iv. नियम–11

26) राजभाषा अधिनियम और नियमों के उपबंधों के अधीन जारी किए जाने वाले निर्देशों के समुचित अनुपालन के लिए केंद्रीय सरकार के कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान द्वारा उपयुक्त एवं प्रभावकारी जांच के उपाय किए जाने होंगे । ऐसा प्रावधान कहाँ किया गया है ?

i. राजभाषा अधिनियम, 1963 में
ii. राजभाषा संकल्प, 1968
iii. राजभाषा नियम, 1976 में
iv. उपरोक्त सभी विकल्प सही नहीं हैं

27) यदि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों में से अस्सी प्रतिशत ने हिन्दी का मैट्रिक या प्राज्ञ स्तर का ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उस कार्यालय के कर्मचारियों के बारे में सामान्यतया यह समझा जाएगा कि उन्होंने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। ऐसा प्रावधान कहाँ किया गया है ?

i. राजभाषा अधिनियम, 1963 में
ii. राजभाषा संकल्प, 1968
iii. राजभाषा नियम, 1976 में
iv. उपरोक्त सभी विकल्प सही नहीं हैं

28) राजभाषा नियम–1976 के नियम–7 में व्यवस्था है –

i. अंग्रेजी में प्राप्त पत्र का उत्तर हिन्दी में दिया जाना चाहिए
ii. हिन्दी में हस्ताक्षरित पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए जाएंगे
iii. हिन्दी में प्रवीण स्टाफ को अपना सम्पूर्ण कार्य हिन्दी में करना है
iv. हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त स्टाफ को कम से कम 75% कार्य हिन्दी में करना चाहिए

29) राजभाषा अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट

सभी दस्तावेजों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाएगा और ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि ऐसी दस्तावेजें हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही में तैयार की जाती हैं, निष्पादित की जाती हैं और जारी की जाती हैं, राजभाषा नियम, १९७६ के किस नियम में ऐसा प्रावधान है –

i. नियम – 6
ii. नियम – 7
iii. नियम – 8
iv. नियम – 10

30) यदि कोई कर्मचारी यह चाहता है कि सेवा संबंधी विषयों (जिनके अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाहियां भी हैं) से संबंधित कोई आदेश या सूचना, जिसका कर्मचारी पर तामील किया जाना अपेक्षित है, यथास्थिति, हिन्दी या अंग्रेजी में होनी चाहिए तो वह उसे असम्यक विलम्ब के बिना उसी भाषा में दी जाएगी। यह व्यवस्था की गई है –

i. राजभाषा अधिनियम, 1963 में
ii. राजभाषा संकल्प, 1968
iii. राजभाषा नियम, 1976 में
iv. उपरोक्त सभी विकल्प सही नहीं हैं

31) केन्द्रीय सरकार का कोई भी कर्मचारी, जो हिन्दी का _____ज्ञान रखता है, हिन्दी में किसी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की मांग तभी कर सकता है, जब वह दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है, अन्यथा नहीं। रिक्त स्थान की पूर्ति करें ?

i. अद्भुत
ii. कार्यसाधक
iii. पांडित्यपूर्ण
iv. विशिष्ट

32) यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विशिष्ट दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है या नहीं तो विभाग या कार्यालय का _____उसका विनिश्चय करेगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करें ? (संदर्भ : राजभाषा प्रावधान)

i. लिपिक
ii. कोई भी अधिकारी
iii. प्रधान
iv. राजभाषा अधिकारी का अधीनस्थ स्टाफ

33) केंद्रीय हिन्दी समिति, जो हिन्दी की सर्वोच्च नीति निर्माता समिति है, के अध्यक्ष कौन हैं –

i. राष्ट्रपति
ii. प्रधानमंत्री
iii. गृहमंत्री
iv. लोकसभा अध्यक्ष

34) संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन हैं –

i. केंद्रीय गृहमंत्री
ii. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री
iii. सचिव, राजभाषा
iv. उपर्युक्त में से कोई नहीं

35) संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार किस लिपि में लिखित हिन्दी भारतीय संघ की राजभाषा होगी –

i. रोमन लिपि
ii. ब्राह्मी लिपि
iii. खरोष्ठी लिपि
iv. देवनागरी लिपि

– उत्तर यहाँ देखें

1) - iii	13) - ii	25) - iv
2) - ii	14) - iii	26) - iii
3) - iii	15) - iii	27) - iii
4) - ii	16) - iv	28) - ii
5) - iii	17) - ii	29) - i
6) - iii	18) - iv	30) - iii
7) - i	19) - i	31) - ii
8) - iii	20) - iii	32) - iii
9) - i	21) - ii	33) - ii
10) - ii	22) - iii	34) - i
11) - iii	23) - iv	35) - iv
12) - iv	24) - iv	

मानक प्रशासनिक अभिव्यक्तियाँ और वाक्यांश

अंग्रेजी रूप	हिन्दी रूप
Above named	ऊपर नामित
Above said	उपर्युक्त
Absence without permission	बिना अनुमति के अनुपस्थिति
Absence may be regularized by grant of leave admissible	स्वीकार्य छुट्टी मंजूर कर अनुपस्थिति नियमित की जाए
Before the expiry of	. . . की समाप्ति से पूर्व/पहले
Being enclosed	संलग्न किया जा रहा है।
Call for the report	रिपोर्ट मंगाइए
Cannot be permitted	अनुमति नहीं दी जा सकती
Decided at a high level	उच्च स्तर पर निर्णीत
Deemed to accrue	प्राप्य/प्रोद्भूत समझा जाए
Eligible for	के लिए पात्र
Empowered to	. . . के लिए अधिकार प्राप्त
Failed to fulfill the conditions	शर्तों का पालन करने में विफल रहा
Failing which	न कर पाने पर, न होने पर, जिसके विफल होने पर
Has no comments to make	. . . कोई टिप्पणी नहीं करनी है।
Has taken delivery	छुड़ा लिया है, सुपुर्दगी ले ली है।
I beg to be executed	मैं क्षमाप्रार्थी हूँ।
I fully agree with the office note; order may be issued	मैं कार्यालय टिप्पणी से पूर्णतया सहमत हूँ; आदेश जारी किए जाएँ
I have been directed to inform you/request you/ask you	मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपको सूचित करूँ/ आपसे निवेदन करूँ / आपसे पूछूं
I have no further comments	मुझे और कुछ नहीं कहना है
Just now	अभी अभी
Keeping in view	ध्यान में रखते हुए
Kindly acknowledge receipts	कृपया पावती भेजें / कृपया प्राप्ति-सूचना दें
Listed as under	निम्नलिखित सूची में दिए अनुसार/ निम्नानुसार सूचीबद्ध
Loss incurred by	. . . द्वारा उठाई गई हानि

Matter is being scrutinized	मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है
Matter is under consideration	मामला विचाराधीन है
Necessary report is still awaited	आवश्यक रिपोर्ट अभी तक प्रतीक्षित है/ की अभी तक प्रतीक्षा है
Necessary steps should be taken	आवश्यक कदम उठाए जाएँ / आवश्यक कार्रवाई की जाए
Office to note and comply	कार्यालय ध्यान दे और पालन करे
Of no avail	व्यर्थ, निष्फल
Papers verified	कागजात का सत्यापन किया गया
Passed for payment	भुगतान/अदायगी के लिए पारित किया गया
Passing official	पारित करने वाला अधिकारी
Query/question has been raised	प्रश्न उठाया गया है
Question does not arise	प्रश्न नहीं उठता
Rate in force	चालू / प्रचलित दर
Rationale of the objective	उद्देश्य का औचित्य
Read with . . .	. . . के साथ पठित
Re-appropriation of funds	धन/ निधियों का पुनर्विनियोग/ पुनर्विनियोजन
Sanctioned strength	स्वीकृत संख्या
Sanctioning authority	मंजूरी प्राधिकारी
Sanctioning order	संस्वीकृति/ मंजूरी आदेश
Save as provided hereafter	इसके पश्चात उपबंधित को छोड़कर
Satisfactory proof	संतोषजनक प्रमाण
Take stock of the situation	स्थिति को समझना / स्थिति का जायजा लेना
Take such measures	ऐसे उपाय करना, ऐसी कार्रवाई करना
Take up	हाथ में लेना, शुरू करना
Take up the matter with . . .	. . . के साथ मामला उठाना
Unbecoming of	के लिए अशोभनीय
We advise having complied with the requirements	हम सूचित करते हैं कि अपेक्षाओं का पालन किया गया है।
You are hereby authorized to . . .	आपको एतदद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि

मानक प्रशासनिक अभिव्यक्तियाँ और वाक्यांश

अंग्रेजी रूप	हिन्दी रूप
Above named	ऊपर नामित
Above said	उपर्युक्त
Absence without permission	बिना अनुमति के अनुपस्थिति
Absence may be regularized by grant of leave admissible	स्वीकार्य छुट्टी मंजूर कर अनुपस्थिति नियमित की जाए
Before the expiry of	. . . की समाप्ति से पूर्व/पहले
Being enclosed	संलग्न किया जा रहा है।
Call for the report	रिपोर्ट मंगाइए
Cannot be permitted	अनुमति नहीं दी जा सकती
Decided at a high level	उच्च स्तर पर निर्णीत
Deemed to accrue	प्राप्य/प्रोद्भूत समझा जाए
Eligible for	के लिए पात्र
Empowered to	. . . के लिए अधिकार प्राप्त
Failed to fulfill the conditions	शर्तों का पालन करने में विफल रहा
Failing which	न कर पाने पर, न होने पर, जिसके विफल होने पर
Has no comments to make	. . . कोई टिप्पणी नहीं करनी है।
Has taken delivery	छुड़ा लिया है, सुपुर्दगी ले ली है।
I beg to be executed	मैं क्षमाप्रार्थी हूँ।
I fully agree with the office note; order may be issued	मैं कार्यालय टिप्पणी से पूर्णतया सहमत हूँ; आदेश जारी किए जाएँ
I have been directed to inform you/request you/ask you	मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपको सूचित करूँ/ आपसे निवेदन करूँ / आपसे पूछूं
I have no further comments	मुझे और कुछ नहीं कहना है
Just now	अभी अभी
Keeping in view	ध्यान में रखते हुए
Kindly acknowledge receipts	कृपया पावती भेजें / कृपया प्राप्ति-सूचना दें
Listed as under	निम्नलिखित सूची में दिए अनुसार/ निम्नानुसार सूचीबद्ध
Loss incurred by	. . . द्वारा उठाई गई हानि

Matter is being scrutinized	मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है
Matter is under consideration	मामला विचाराधीन है
Necessary report is still awaited	आवश्यक रिपोर्ट अभी तक प्रतीक्षित है/ की अभी तक प्रतीक्षा है
Necessary steps should be taken	आवश्यक कदम उठाए जाएँ / आवश्यक कार्रवाई की जाए
Office to note and comply	कार्यालय ध्यान दे और पालन करे
Of no avail	व्यर्थ, निष्फल
Papers verified	कागजात का सत्यापन किया गया
Passed for payment	भुगतान/अदायगी के लिए पारित किया गया
Passing official	पारित करने वाला अधिकारी
Query/question has been raised	प्रश्न उठाया गया है
Question does not arise	प्रश्न नहीं उठता
Rate in force	चालू / प्रचलित दर
Rationale of the objective	उद्देश्य का औचित्य
Read with . . .	. . . के साथ पठित
Re-appropriation of funds	धन/ निधियों का पुनर्विनियोग/ पुनर्विनियोजन
Sanctioned strength	स्वीकृत संख्या
Sanctioning authority	मंजूरी प्राधिकारी
Sanctioning order	संस्वीकृति/ मंजूरी आदेश
Save as provided hereafter	इसके पश्चात उपबंधित को छोड़कर
Satisfactory proof	संतोषजनक प्रमाण
Take stock of the situation	स्थिति को समझना / स्थिति का जायजा लेना
Take such measures	ऐसे उपाय करना, ऐसी कार्रवाई करना
Take up	हाथ में लेना, शुरू करना
Take up the matter with . . .	. . . के साथ मामला उठाना
Unbecoming of	के लिए अशोभनीय
We advise having complied with the requirements	हम सूचित करते हैं कि अपेक्षाओं का पालन किया गया है।
You are hereby authorized to . . .	आपको एतदद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि

हिंदी पखवाडा 2020 नराकास - प्रतियोगिता परिणाम

हिन्दी पखवाडा
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के
तत्वावधान में हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन

प्रतियोगिता आयोजक	प्रतियोगिता का नाम	पुरस्कार प्राप्त स्टाफ सदस्य			
बैंक ऑफ इंडिया	ऑनलाइन राजभाषा ज्ञान प्रतियोगिता (गूगल फॉर्म पर)	क्र.सं.	स्टाफ का नाम	कार्यालय का नाम	पुरस्कार
		1	अभिषेक पाल	केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर	प्रथम
		2	हंसराम मीना	केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर	द्वितीय
		3	मोहम्मद नदीम	भारतीय तटरक्षक अवस्थान	तृतीय
		4	चंद्रकांत कुमार	भारतीय तटरक्षक अवस्थान	प्रोत्साहन
बैंक ऑफ इंडिया	ऑनलाइन संविधान ज्ञान प्रतियोगिता (गूगल फॉर्म पर)	1	हंसराम मीना	केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर	प्रथम
		2	अभिजीत मुरकुटे	कोंकण रेलवे	द्वितीय
		3	अमित कुमार गौतम	केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर	तृतीय
		4	सुदेश शिवालकर	केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर	प्रोत्साहन
बैंक ऑफ इंडिया	ऑनलाइन काव्यवाचन प्रतियोगिता (गूगल मीट पर)	1	सूरज महादेव माने	बैंक ऑफ इंडिया	प्रथम
		2	अब्दुल अज़ीज़ नाकाडे	दूरदर्शन केंद्र	द्वितीय
		3	सचिन सिंह	भारतीय तटरक्षक अवस्थान	द्वितीय
		4	सतीश धुरी	कोंकण रेलवे	तृतीय
		5	नितीन रसाल	सीमा शुल्क मण्डल	प्रोत्साहन
		6	दत्ताराम डेपसे	भारतीय जीवन बीमा नि.	प्रोत्साहन
		7	योगेश पँवार	कोंकण रेलवे	प्रोत्साहन
		8	मोहन मधुकर	कोंकण रेलवे	प्रोत्साहन
बैंक ऑफ इंडिया	ऑनलाइन आशुभाषण प्रतियोगिता (गूगल मीट पर)	1	सूरज महादेव माने	बैंक ऑफ इंडिया	प्रथम
		2	सतीश कुमार	भारतीय तटरक्षक अवस्थान	द्वितीय
		3	अब्दुल अज़ीज़ नाकाडे	दूरदर्शन केंद्र	तृतीय
		4	सतीश धुरी	कोंकण रेलवे	तृतीय
		5	चंद्रकांत सिंह	भारतीय तटरक्षक अवस्थान	प्रोत्साहन
		6	सुनील बापुराव	भारतीय तटरक्षक अवस्थान	प्रोत्साहन
		7	नितीन रसाल	सीमा शुल्क मण्डल	प्रोत्साहन
बैंक ऑफ इंडिया	हिन्दी निबंध लेखन प्रतियोगिता	1	दत्ताराम डेपसे	भारतीय जीवन बीमा नि.	प्रथम
		2	स्वप्निल सुधाकर झगडे	कोंकण रेलवे	द्वितीय
		3	अब्दुल अज़ीज़ नाकाडे	दूरदर्शन केंद्र	तृतीय
		4	मोहम्मद नदीम	भारतीय तटरक्षक अवस्थान	तृतीय
		5	नितीन रसाल	सीमा शुल्क मण्डल	तृतीय
		6	मुफीद नाखवा	सीमा शुल्क मण्डल	प्रोत्साहन
		7	उत्तम गावडे	सीमा शुल्क मण्डल	प्रोत्साहन

विविधता में एकता

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रत्नागिरी

बैंक ऑफ़ इंडिया, आंचलिक कार्यालय, शिवाजीनगर, रत्नागिरी 415 639 (महाराष्ट्र)